इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014-आषाढ़ 20, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम प्रथम परिनियम

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

Bhopal, the 25th June 2014

No. B-4-16-2009-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by Section 39 (1) of Rajmata Vijaya Raje Scindia Krisi Vishwa Vidyalaya, Gwalior Adhiniyam, 2009, the State Government hereby makes the first Statute of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior is hereby published in the ordinary gazette. The first statute of the University shall come in to force from the date of notification.

THE FIRST STATUTE.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2014

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 38 के साथ पिठत धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. —

- (1) इन परिनियमों (परिनियम क्रमांक 1 से 21) का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, 2012 है।
- (2) ये परिनियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं. इन परिनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत हैं, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) ;
 - (ख) "शैक्षणिक वर्ष / सत्र" से अभिप्रेत है, दो सेमेस्टरों की अवधि जिसके दौरान विश्वविद्यालय द्वारा यथा अधिसूचित शैक्षणिक कलैन्डर / सेमेस्टर, कायक्रम के अनुसार शिक्षा के कार्य का चक्र पूर्ण किया जाता है ;
 - (ग) ''बोर्ड''से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 27 के अधीन यथा गठित विश्वविद्यालय का बोर्ड ;
 - (घ) ''समिति'' से अभिप्रेत है, निधि के प्रशासन के लिए परिनियमों के अधीन गठित समिति ;
 - (ङ) ''निरंतर सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित निरन्तर सेवा;
 - (च) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, किसी सेमेस्टर तथा पाठ्यचर्या का अभिन्न और विशिष्ट भाग होते हुए, सेमेस्टर तक विस्तारित कक्षाओं की श्रृखला और विशिष्ट विषय का कार्यानुभव ;
 - (छ) 'क्रेडिट' (समाकलन) से अभिप्रेत है, विद्यार्थी द्वारा कक्षा, प्रयोगशाला या क्षेत्रकार्य के लिए प्रति सप्ताह दिया गया सम्पर्क समय, अर्थात् :--
 - (एक) ''एक क्रेडिट (समाकलन)'' प्रति सप्ताह 45 मिनट की एक सैद्धांतिक कक्षा अथवा 90 मिनट की एक प्रायोगिक कक्षा ;
 - (दो) ''दो क्रेडिट (समाकलन)'' प्रति सप्ताह 45 मिनट की दो सैद्धांतिक कक्षाएं या 90 मिनट की दो प्रायोगिक कक्षाएं तथा इसी समरूप 3 या 4 क्रेडिट (समाकलन) ;
 - (ज) ''पाठ्यचर्या'' से अभिप्रेत है, किसी उपाधि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संकाय द्वारा चयनित और परिकल्पित सेमेस्टरों में विभक्त किए गए पाठ्यक्रमों की श्रृंखला ;
 - (झ) ''आश्रित'' से अभिप्रेत है, मृत अभिदाता का कोई रिश्तेदार अर्थात् पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता–पिता, अवयस्क भाई, एवं अविवाहित बहनें तथा यदि अभिदाता के माता–पिता जीवित न हो तो पितामह–पितामही :
 - (ञ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत हैं, परिनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी स्थायी अथवा अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक सेवा का कोई व्यक्ति किन्तु इसमें प्रतिनियुक्ति या

दैनिक मजदूरी पर या कार्यभारित स्थापना या संविदा आधार पर लगाया गया कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं ;

- (ट) "परिवार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित परिवार ;
- (ठ) ''निधि'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि
- (ड) 'पेंशन, उपदान तथा पेंशन का संराशीकरण' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय ऐसी रकम, जिसे कि राज्य सरकार के कर्मचारी क्रमशः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1996 के अधीन प्राप्त करने के हकदार हैं ;
- (ढ़) कर्मचारी के संबंध में ''वेतन'' से अभिप्रेत है, मासिक वेतन तथा जिसमें कर्मचारी को देय समस्त नियत भत्ते सम्मिलित हैं ;
- (ण) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;
- (त) ''सेमेस्टर'' से अभिप्रेत है, 105 कार्य दिवस की कालावधि जिसमें से 85 दिवस अध्यापन के लिए रहेंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे ;
- (थ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;
- (द) ''परिनियम'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 38 तथा 39 के उपबंधों के अधीन बनाए गए परिनियम ;
- (ध) ''अभिदाता'' से अभिप्रेत है, कोई कर्मचारी जिसकी ओर से परिनियमों के अधीन अभिदान की रकम जमा की जाती है;
- (न) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ;
- (प) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार की कोषालय संहिता तथा वित्तीय संहिता में यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष ;
- (फ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन परिनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

परिनियम क्रमांक 1

कुलपति की परिलिध्ययां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते

- 1. कुलपति का वेतन, भत्ते, आवास, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता तथा अवकाश .--
 - (क) कुलपित प्रतिमास ऐसे वेतन तथा भत्ते साथ ही अन्य भत्ते प्राप्त करेगा जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं। यदि वह अपनी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् अपना कार्यभार ग्रहण करता है और अपनी पूर्व की सेवाओं के कारण पेंशन प्राप्त कर रहा है तो संराशीकरण के पूर्व निर्धारित की गई पेंशन की सकल रकम तक / में से उसके वेतन तथा भत्ते से कम की जाएगी।

- (ख) कुलपति, अपनी पदावधि के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किराया मुक्त सुसज्जित आवासीय वास सुविधा पाने का हकदार होगा।
- (ग) कुलपति, ऐसी शर्तों पर, जैसी कि राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष को लागू होती हों, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय के वाहन का उपयोग करने का हकदार होगा।
- (घ) कुलपित, विश्वविद्यालय की सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान योजना के लिए विकल्प लेने का पात्र होगा यदि उसने उसकी पदाविध का प्रारंभ होने के पूर्व अधिवार्षिकी की सामान्य आयु प्राप्त नहीं की है और कुलपित के रूप में पद ग्रहण करने के पूर्व वह केन्द्र / राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य की स्वशासी निकाय या केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में पेंशन योजना का पात्र रहा हो। यदि वह विश्वविद्यालय की सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान योजना में सम्मिलत होने का विकल्प लेता है तो वह पेंशन के प्रयोजन के लिए अधिवार्षिकी की सामान्य आयु पूर्ण होने तक कुलपित के रूप में अपनी सेवा के साथ पिछली सेवा को जोड़ने के लाभ का हकदार होगा। इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय, पूर्ववर्ती संगठनों से पेंशन / अंशदायी भविष्य निधि दायित्व प्राप्त करेगा। अधिवार्षिकी की सामान्य आयु से परे विश्वविद्यालय में उसके द्वारा की गई सेवा की अविध को, पेंशन संबंधी लाभों के प्रयोजन के लिए संगणना में नहीं लिया जाएगा। पेंशन—सह—उपदान लाभ केवल उसके द्वारा कुलपित का पद त्याग देने की तारीख से ही देय होंगे। यदि कुलपित, अपना कार्य अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् ग्रहण करने की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि योजना से जुड़ने का हकदार होगा।
- 2. (क) कुलपित, एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिन के पूर्ण वैतिनक अवकाश का हकदार होगा। उसके खाते में अवकाश 15 दिन का अग्रिम अवकाश की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन को जमा किया जाएगाः

परन्तु यदि कुलपति, चालू अर्द्ध वर्ष के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है/त्यागता है, तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2½ दिन प्रति माह की दर से आनुपातिक अवकाश जमा किया जाएगा।

- (ख) कुलपित के खाते में पूर्ववर्ती आधे वर्ष की समाप्ति पर नये आधे वर्ष में इन शर्तों के अध्यधीन अवकाश अग्रनीत किए जाएंगे कि उस आधे वर्ष के लिए इस प्रकार अग्रनीत किए गए तथा जमा अवकाश, 240 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हों।
- (ग) कुलपित, अपना पदभार त्यागने पर, उसके पदभार त्यागने के समय कहीं और लिए गए नकदीकरण के लाभों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 240 दिन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए पूर्ण वेतन पर उसे अनुज्ञेय अवकाश के दिनों के लिए अवकाश वेतन के समतुल्य राशि पाने का हकदार होगा।
- (घ) कुलपति, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन प्रति वर्ष की दर से अर्द्ध वैतनिक अवकाश पाने का भी हकदार होगा। यह अर्द्ध—वैतनिक अवकाश, पूर्ण वेतन पर लघुकृत अवकाश के रूप में केवल

- चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही उपलब्ध होगा, जब लघुकृत अवकाश का दो बार लाभ लिया जाता है, तो अर्द्ध वैतनिक अवकाश की रकम, शेष अर्द्ध वैतनिक अवकाश से विकलित की जाएगी।
- (ङ) कुलपति, स्वयं चिकित्सा आधार पर या अन्यथा पांच वर्ष की पूर्ण पदावधि के दौरान, अधिकतम तीन माह की कालावधि के, बिना वेतन के असाधारण अवकाश का भी हकदार होगा।
- (3) कुलपति, विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय चिकित्सीय परिचर्या तथा अवकाश यात्रा रियायत जैसे समस्त अन्य लाभों का हकदार होगा।
- (4) कुलपति, कुलपति के रूप में उसकी नियुक्ति तथा उसका कार्य भार त्यागने पर या स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते का हकदार होगाः

परन्तु कुलपित के वेतन से पेंशन के कटोत्रे का उपबंध, जब तक संबंधित विश्वविद्यालय के पिरिनियमों / अध्यादेशों में इस आशय का विशिष्ट उपबंध पूर्व से ही विद्यमान न हो, पदधारी कुलपित को लागू नहीं होगा।

परिनियम क्रमांक 2 कुलपति की शक्तियां

1. कुलपति की शक्तियां.—

- अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपित को निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी, अर्थात् :--
- (1) विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजट के भीतर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय मंजूर करना, परन्तु वह विभिन्न विनियोग / इकाईयों के भीतर राशियों का पुनर्विनियोजन कर सकेगा ;
- (2) राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए स्वयं के यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करना ;
- (3) अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित बैंक में विश्वविद्यालय की ओर से खाता खोलना और विश्वविद्यालय के किसी आहरण तथा संवितरण अधिकारी को ऐसा बैंक खाता प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत करना ;
- (4) यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करना तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अधिकारिता से परे कर्तव्य की अनुपरिथित मंजूर करना ;
- (5) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अवकाश प्रदान करना ;
- (6) अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए ऐसी समितियों का गठन करना जैसी कि वह आवश्यक समझे ;
- (7) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को सौंपे गए किन्हीं विशेष कर्तव्यों के लिए या ऐसे कर्मचारी द्वारा पालन किए गए किन्हीं अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए, जो कुलपित की राय में ऐसे भुगतान के समुचित आधार हों, कोई भत्ता स्वीकृत करना:

परन्तु ऐसा भत्ता ऐसे कर्मचारी के मूल वेतन के 61/4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि इस उप—खण्ड के अधीन की गई किसी कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड को ऐसी कार्रवाई के त्रन्त पश्चात् होने वाली बैठक में दी जाएगी।

(8) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो कि यथास्थिति उसे अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं।

परिनियम क्रमांक 3

अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

- 1. अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते :--
 - (1) अधिनियम तथा इसके पश्चात् बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपित से अन्यथा छोड़कर अधिकारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए विहित की गई हों;
 - (2) बोर्ड, यदि चयन समिति द्वारा ऐसी सिफारिश की जाए और ऐसी सिफारिशों की स्वीकृति के लिए अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिनियमों द्वारा विहित प्रारम्भिक वेतन से उच्चतर प्रारम्भिक वेतन मंजूर कर सकेगा, परन्तु ऐसी बढ़ी हुई रकम किसी भी अभ्यर्थी को, अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए पांच अग्रिम वेतनवृद्धियों की रकम से अधिक नहीं होगी;
 - (3) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और वे बोर्ड द्वारा समय—समय पर अपने कर्मचारियों के लिए इस निमित्त यथा विहित अवकाश, अवकाश वेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे:

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से बाहर निदेशक तथा महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जैसी कि बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए। ऐसे अभ्यर्थी का, जब तक कि वह विहित अवधि के दौरान किसी अन्य उपयुक्त पद के लिए चयनित नहीं हो जाता, विनिर्दिष्ट पदावधि का अवसान होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अन्य पद के लिए दावा नहीं होगा। निदेशक और संकायाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसकी अधिवार्षिकी आयु की तारीख तक इनमें जो भी पहले हो, होगी। कुलपित को, प्रशासन की सुविधा तथा अत्यावश्यकता को देखते हुए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात. ऐसी अवधि को कम करने / घटाने की शक्ति होगी।

- (4) प्रत्येक कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा से उस माह के अन्तिम दिन के अपरान्ह को, जिसमें कि वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है, नीचे विहित किए गए अनुसार सेवा निवृत्त हो जाएगा :--
 - (क) 'अधिकारी' अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट (कुलपित को छोड़कर) 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होगाः

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो पदोन्नित के द्वारा या अन्यथा, अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हों परन्तु जो 20 वर्ष से अनधिक की अवधि तक अध्यापन कार्य में लगे रहे हों तथा

- विश्वविद्यालय के पद पर धारणाधिकार रखते हों, 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।
- (ख) अधिनियम की धारा 2 (ट) में यथा परिभाषित ''अध्यापक'', 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।
- (ग) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी प्रवर्ग के ''गैर—अध्यापन सेवा कार्मिक'' 60 (साठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।
- (घ) ''चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी'' 62 (बासठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगेः

परन्तु अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर, ऐसा कर्मचारी जिसकी जन्म तारीख किसी माह की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तारीख के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगाः

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को लोकहित में या विश्वविद्यालय के हित में 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा हो जाने पर कोई कारण बताए बिना किसी भी समय तीन माह की सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन माह के वेतन तथा भत्ते देकर, सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

(5) ऐसे व्यक्तियों के मामले, जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः नियोजित किये गये हो, वे विश्वविद्यालय सेवा में उनके पुनः नियोजिन की शर्तों तथा निबंधनों द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसे पुनः नियोजित व्यक्ति सिवाय बोर्ड के अनुमोदन के, ऐसे मामलों से संबंधित सेवानिवृत्ति की उम्र के पश्चात् विश्वविद्यालय सेवा में नहीं बने रह सकेंगे और ऐसी शर्त प्रत्येक पुनःनियोजित व्यक्ति के नियुक्ति आदेश में तथा विश्वविद्यालय व उनके बीच किए जाने वाले अनुबंध में वर्णित की जाएगी।

परिनियम क्रमांक 4

कुलसचिव तथा लेखा नियंत्रक की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य

- 1. कुलसचिव की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य :
 - (1) कुलसचिव, परिलब्धियां, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर यथाअनुमोदित पुनरीक्षित वेतनमान में, वेतन प्राप्त करेगा। किसी विशेष प्रकरण में, जहां परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो तथा या जब व्यक्ति पहले से ही नियोजन में हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, वह ऐसा उच्चतर वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार या पैतृक विभाग या संस्था या निकाय से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किया जाए, प्राप्त करेगा।
 - (2) कुलसचिव,-
 - (क) अधिनियम की धारा 41 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का उत्तरदायी होगा;
 - (ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा तथा ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जो कि बोर्ड द्वारा उसके प्रभार में सुपुर्द की जाए ;

- (ग) अधिनियम के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के बोर्ड, विद्या परिषद् और किन्हीं समितियों या निकायों की, जिनमें कि उसे सचिव के रूप में कार्य करना है, बैठकें आयोजित करने वाली समस्त सूचनाएं जारी करना ;
- (घ) अधिनियम के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के बोर्ड, विद्या परिषद् और किन्हीं समितियों या निकायों की बैठकों का, जिनमें कि उसे सचिव के रूप में कार्य करना है, कार्यवृत्त रखना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित विषयों तथा लेखा नियंत्रक के कर्तव्यों की परिधि में आने वाले आनुषंगिक विषयों को छोड़कर बोर्ड तथा विद्या परिषद् का कार्यालयीन पत्र व्यवहार संचालित करना:
- (च) छात्रों के प्रवेश तथा छात्रों के रूप में उनकी निरन्तरता से संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों का प्रशासन करना:
- (छ) संकायों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए समय सारणी तैयार करना और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश की योजना बनाना तथा निर्देशन करना तथा संकायों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानांतरणों तथा पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों के अभिलेख रखना ;
- (ज) विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र का अभिलेख रखना जिसमें उसकी शैक्षणिक दक्षता छात्र के रूप में आचरण और ऐसे सभी अन्य विषय होंगे, जिनका छात्र की दक्षता तथा उसके आचरण से संबंध हो :
- (झ) विश्वविद्यालय के रनातकों के अभिलेख रखना ;
- (ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि उसे कुलपति द्वारा, जिसके कि प्रति वह उत्तरदायी है, समय—समय पर सौंपे जाएं ;

2. लेखा नियंत्रक की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .--

- (क) लेखा नियंत्रक, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किए गए पुनरीक्षित वेतनमान में, वेतन प्राप्त करेगा। किसी विशेष प्रकरण में, जहां परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो, वह ऐसा अन्य उच्चतर वेतन तथा भत्ते, जो कि मध्यप्रदेश सरकार के परामर्श से अवधारित किए जाएं, प्राप्त करेगा।
- (ख) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के खंड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त लेखा नियंत्रक निम्नलिखित शक्तियों का भी प्रयोग करेगा, अर्थात् :--
 - (एक) वह वित्तीय प्राक्कलन तैयार करने तथा उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;
 - (दो) वह आय तथा फीस प्राप्त करेगा, भुगतान का संवितरण करेगा तथा विश्वविद्यालय के दिन प्रति दिन के वित्तीय संव्यवहारों के लिए और उसके उचित लेखांकन के लिए उत्तरदायी होगा तथा अन्य समस्त आनुषंगिक बातें करेगा जिसमें उससे संबंधित पत्र व्यवहार सिमलित है;

- (तीन) वह विश्वविद्यालय के लेखा तथा वित्त से संबंधित मामलों के संबंध में, जिनके कि लिए वह सीधे कुलपित के प्रति उत्तरदायी होगा, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की जाएं या बोर्ड या कुलपित द्वारा समय—समय पर अपेक्षित की जाएं ;
- (चार) वह अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में परिकल्पित अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए जब भी कभी आवश्यक हो, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होगा :
- (पांच) वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे समय—समय पर सौंपे जाएं।
- (ग) विश्वविद्यालय को देय किसी धन के संबंध में लेखा नियंत्रक, बोर्ड द्वारा या इस संबंध में सम्यक् रूप से, लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जारी की गई रसीद, ऐसी प्राप्ति के लिए जारी की गई रसीद समझी जाएगी।

परिनियम क्रमांक 5

चयन समिति की संरचना, चयन की प्रक्रिया तथा नियुक्ति की अन्य शर्ते

- 1. अधिकारी तथा अन्य कर्मचारिवृन्द .-
 - (1) विश्वविद्यालय के वे अधिकारी होंगे जो अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) से (झ) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - (2) अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष भी विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा।
- 2. अधिकारियों के पदों के लिए अर्हताएं .— अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपित तथा कुलपित से भिन्न) के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताए, विद्या परिषद् द्वारा की गई अनुशंसाओं पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान वाले अध्यापकों/अधिकारियों के पदों के मामले में, अनुशंसाएं मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समय—समय पर दिए गए दिशा—निर्देशों के पैटर्न पर आधारित होंगी और अधिकारियों के शेष पदों के मामले में, जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान वाले पद हैं अर्हता प्रशासनिक परिषद् द्वारा अधिकथित की जाएंगीः

परन्तु विहित अर्हता को, सम्यक् रूप से ऐसी रीति में, जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर विहित की जाए, सम्यक् रूप से प्रचारित किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया, मध्यप्रदेश सरकार से रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही, प्रारंभ होगी।

3. अधिकारियों, अध्यापकों एवं सेवा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन.-

- (1) कुल सचिव, प्रत्याशित रिक्तियों को भरने या विश्वविद्यालय के गठन के रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए कुलपित द्वारा गठित चयन समिति हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेगा और यथोचित कदम उठाएगा।
- (2) कालम (1) में दर्शाए गए विभिन्न पदों के लिए, कालम (2) में दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित चयन समितियां होंगी :--

| पदनाम | चयन समिति का गठन | | |
|--|--|--|--|
| (1) | (2) | | |
| (क) (एक) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं (दो) निदेशक, विस्तार सेवाएं | (1) कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (2) विश्वविद्यालय से संबद्ध न होने वाले व्यक्तियों में से | | |
| (तीन) निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण | कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य. (3) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य | | |
| (चार) संकायों के संकायाध्यक्ष (पांच) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष | (4) मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना | | |
| (छह) कुलसचिव | वाला एक सदस्य (5) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग नई दिल्ली द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना वाला केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेषज्ञ सदस्य. | | |
| (सात) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष | (6) यह पद मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अपर संचालक या उसके समतुल्य पद के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा. | | |
| (आठ) लेखा नियंत्रक | | | |
| (नौ) आचार्य / सह आचार्य एवं अनुसंधान, विस्तार तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के सभी समकक्ष पद | (7) यह पद मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अपर संचालक या उसके समतुल्य पद के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा. (8) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष या निदेशक . (9) संबंधित विभागाध्यक्ष. (10) कुल सचिव; सदस्य सचिव होगा. | | |

टीप:-

- 1. ऊपर अनुक्रमांक (4) के सामने वर्णित सदस्य, केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत पदों से भिन्न पदों के लिए भाग लेगा।
- 2. ऊपर अनुक्रमांक (5) के सामने वर्णित सदस्य केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत पदों के लिए भाग लेगा।
- 3. अनुक्रमांक (8) और (9) के सामने यथास्थिति, पदों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए वर्णित सदस्य ऊपर प्रवर्ग (नौ) के सामने उल्लिखित पदों के चयन में भाग लेगा।

- (ख) (एक) सहायक प्राध्यापक तथा शिक्षण अनुसंधान और विस्तार जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र भी सम्मिलित है, के समस्त समतुल्य पद।
 - (दो) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / कीड़ा अधिकारी / कार्यक्रम सहायक / तकनीकी सहायक
- (1) कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्यों मे से उसका कोई नामनिर्देशिती

– अध्यक्ष

- (2) संबंधित संकायाध्यक्ष
- (3) निदेशकों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक निदेशक
- (4) संबंधित विभागाध्यक्ष
- (5) विश्वविद्यालय के बाहर के दो विशेषज्ञ जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा
- (6) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष
- (7) कुल सचिव सदस्य सचिव होगा।

टीप:— 1 विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष केवल सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भाग लेगा।

- (ग) (एक) उप कुलसचिव / उप नियंत्रक
- (1) कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्यों में से उसका कोई नामनिर्देशिती

(दो) कार्यपालन यंत्री

- (2) नियंत्रक (केवल वित्तीय पदों के लिए)
- (तीन) सहायक कुलसचिव/सहायक नियंत्रक
- (3) भरे जाने वाले पदों की प्रकृति के अनुसार कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य

(चार) सहायक यंत्री

(4) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो

(पांच) चिकित्सा अधिकारी

- (5) कुलसचिव सदस्य सचिव होगां।
- (छह) अनुभाग अधिकारी / निज सचिव तथा अन्य कोई समान पद जो ऊपर वर्णित में न आते हों
- (घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी की पदश्रेणी से नीचे के लिपिकीय पद
- (1) कुलसचिव अध्यक्ष
- (2) लेखा नियंत्रक
- (3) कुलपति द्वारा, किसी भी संकाय/ संचालनालय/विभाग से, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य
- (4) उप कुल सचिव सदस्य सचिव होगा ।

टीप :- उपरोक्त समितियां, सेवा में प्रवेश के समय पदों पर नियुक्तियों के संबंध में तथा खण्ड (ग) और (घ) के अधीन उच्चतर पदों पर पदोन्नित हेतु कार्य करेगी।

- (ङ) महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि में सेवाओं में प्रवेश के समय सहायक ग्रेड—तीन, क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनो—टाइपिस्ट, प्रयोगशाला सहायक तथा पुस्तकालय सहायक आदि लिपिकीय/अलिपिकीय फील्ड स्टाफ के पद.
- (1) कोई भी निदेशक अध्यक्ष
- (2) लेखा नियंत्रक
- (3) उस इकाई / विभाग के दो वरिष्ठ सदस्य जहाँ से पद भरे जाना हैं जो संबंधित संकायाध्यक्ष / निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (4) किसी संकाय / संचालनालय / विभाग से एक सदस्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) उप कुल सचिव सदस्य सचिव होगा
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी (अलिपिकीय) पद जैसे वाहन चालक, फोटोग्राफर, मशीन आपरेटर, हेल्पर, क्लीनर, बाइन्डर, कारपेन्टर आदि।
- 1) कोई भी निदेशक अध्यक्ष
- (2) कुलसचिव
- (3) लेखा नियंत्रक
- (4) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप कुल सचिव
- (5) कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, जो उस कार्यालय का हो जहाँ से पद भरे जाना है
- (6) किसी भी संकाय / संचालनालय / विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी
- (7) उप कुलसचिव सदस्य सचिव होगा।

टीप :-

- (क) यह सिमति, सेवा में प्रवेश के समय, पदों पर नियुक्ति तथा उच्चतर पदों पर पदोन्नित से संबंधित कार्य भी करेगी, तथापि तकनीकी पदों पर पदोन्नित के मामले में, सिमिति का अध्यक्ष, जहाँ से पद भरे जाना है वहां के संबंधित संचालक/ संकायाध्यक्ष/ संबंधित अधिकारी होंगे,
- (ख) प्रत्येक चयन समिति के लिए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या (+) एक से गणपूर्ति होगी।
- (ग) चयन सिमति में, अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नामनिर्देशिती, इस पिरिनियम के अधीन, मध्यप्रदेश सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार भाग लेंगे।
- (घ) विश्वविद्यालय, लिपिकीय, अलिपिकीय तथा तकनीकी पद जो वर्ग–तीन तथा वर्ग–चार के प्रवर्ग में आते हैं, के समस्त पदों के लिए सेवा में प्रवेश के समय, समय–समय पर अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, पात्रता परीक्षा संचालित कर सकेगा।

4. चयन की प्रक्रिया

- (1) अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समस्त पद (कुलाधिपति, कुलपित तथा संकायाध्यक्ष को छोड़कर) तथा अधिनियम की धारा 2 (ट) के अधीन यथा परिभाषित पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यापक और समतुल्य प्रवर्गों के पद, योग्यता के आधार पर और अखिल भारतीय विज्ञापन से चयन द्वारा भरे जाएंगे :
- कुलसचिव धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, कुलसचिव, राज्य सरकार द्वारा, संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अपर संचालकों में से नियुक्त किया जाएगा।
- लेखा नियंत्रक बोर्ड, विश्वविद्यालय के हित में, लेखा नियंत्रक का पद, मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के ऐसे अपर संचालक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त करने पर भी विचार कर सकेगा जिसे समुचित अनुभव हो और जो योग्य हो।

(2) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या किसी समतुल्य पद, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर विहित की जाएं और यह कि केवल वे ही अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करने के अलावा आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी./सी.एस.आई. आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) में अर्हता प्राप्त की हो, सहायक आचार्य या समतुल्य पद पर चयन और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। पी.एच.डी. उपाधि धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। तथापि अन्य बातें समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पी.एच.डी. की है तथा आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी. /सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) उत्तीर्ण की हो, भर्ती में अधिमान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां उन विषयों में, जिनमें आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी. /सी.एस.आई. आर. के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) संचालित नहीं की गई हो, रिक्तियों की पूर्ति, विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए की जाएगी:

परन्तु पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन संकाय के अन्तर्गत आने वाले पदों के लिए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा कोई मानदण्ड अधिकथित किए गए हों, तो सहायक आचार्य तथा उसके समतल्य पद पर नियक्तियों के लिए भी वे लागू होंगे।

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी जो अपेक्षित अर्हता या अन्य शर्ते (यदि कोई हों) धारित करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और उनके आवेदन अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचारण में लिए

(4) अधिनियम तथा इस परिनियम के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के अन्तिविष्ट होते हुए भी सहायक आचार्य तथा सह आचार्य के प्रवर्ग में अध्यापकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अभिकथित किए गए मानदण्डों के अनुसार 'योग्यता पदोन्नित स्कीम' के अधीन कमशः सह आचार्य तथा आचार्य के पदों पर पदोन्नित किया जा सकेगाः

परन्तु वे अध्यापक जिन्होंने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में सेवा करते हुए योग्यता पदोन्नित स्कीम के अधीन पदोन्नित / नियुक्ति के लिए विकल्प दिया है वे दिनांक 27.07.1998 तक, वे उसी स्कीम द्वारा शासित होते रहेंगे तथा योग्यता पदोन्नित स्कीम के अधीन उसमें विहित वेतनमान के लिए हकदार होंगे।

(5) विश्वविद्यालय के अध्यापक यदि वे विकल्प देते हैं, तो केरियर अभिवर्धन स्कीम के लाभ जोिक मध्यप्रदेश सरकार, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक —बी—4—39/87/ 14—2, दिनांक 9 मार्च, 1989 में अंतर्विष्ट हैं तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/मध्यप्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर उपांतरित किए जाएं या संशोधित किए जाएं, प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

(6) वृत्ति अभिवर्धन स्कीम, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा कीड़ा अधिकारी तथा उनके समत्त्व्य समस्त पदों को भी लागू होगी।

(7) वृति अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन के लिए विचारण में लिए जाने वाले समस्त मामलों के लिए, चयन समिति का गठन किया जायेगा तथा छंटनी/चयन, मध्यप्रदेश सरकार, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक —बी—4—39/87/14—2, दिनांक 9 मार्च, 1989 में अंतर्विष्ट तथा समय—समय पर यथा उपांतरित या संशोधित किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) विश्वविद्यालय सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) सेवा में प्रवेश के समय को छोड़कर विनियम में विनिर्दिष्ट वर्ग—एक, वर्ग—दो तथा वर्ग—तीन के रूप में परिभाषित गैर अध्यापन सेवा कार्मिक के पद पर भर्ती, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से वरिष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर 80 प्रतिशत तक पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा शेष 20 प्रतिशत पद विश्वविद्यालय के पात्र स्टाफ में से जो उन पदों के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हैं, विभागीय परीक्षा संचालित कर सर्वथा योग्यता के आधार पर विज्ञापन और चयन द्वारा भरे जाएंगे:

परन्तु गैर अध्यापन सेवा कार्मिक के पदों पर भर्ती, विज्ञापन तथा खुली प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी कि विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा समय—समय पर अधिकथित की जाए की जाएगी:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की कार्यशाखा के वर्ग—दो तथा अन्य उच्च पदों के लिए, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नित हेतु 80 प्रतिशत कोटा नियत किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत कोटा विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए नियत किया जाएगा। यदि रिक्त पद की प्रकृति ऐसी है कि वांछित प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति या तो पदोन्नित कोटा से या विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा करने में विश्वविद्यालय असमर्थ है, तो कुलपित मध्यप्रदेश सरकार से उपयुक्त व्यक्ति की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त कर सकेगा।

(9) गैर अध्यापन सेवा कार्मिक, मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–11/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार क्रमोन्नति योजना के तथा समयमान जैसा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकथित

किया जाए, के लाभों को प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

(10) विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में, विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की, सर्वप्रथम, कुलपित द्वारा नियुक्त की गई सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी जो उन आवेदकों के नामों की, जिन्होंने उस पद के लिए विचार करने हेतु विहित अर्हताओं की पूर्ति की हैं, अनुशंसा कुलपित को करेगी। उक्त सिमित द्वारा सिफारिश किए गए तथा कुलपित द्वारा अनुमोदित आवेदकों को चयन सिमित द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आचार्य, सह आचार्य तथा उसके समतुल्य अध्यापन पदों के चयन के मामले में, चयन सिमित द्वारा स्वविवेक से ऐसे आवेदकों की अभ्यार्थिता पर जो कि साक्षात्कार की तारीख को विदेश में हों, अनुपस्थित पर भी विचार करेगी।

(11) चयन समिति, कुलपति को प्रत्येक रिक्ति के लिए योग्यता के क्रम में रखे गए तीन से अनधिक

नामों के पैनल की अनुशंसा करेगी।

(12) सीधी भर्ती के मामलों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के साथ—साथ महिलाओं के पक्ष में (एक) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा (दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 तथा उनमें समय—समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, पदों में रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी।

(13) वर्ग—दो, वर्ग—तीन तथा वर्ग—चार प्रवर्गों के जो पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाना हैं मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ—8—2/96/पांच दिनांक 30.05.1997 तथा तत्पश्चात् उक्त प्रवर्गों में आरक्षण को विनियमित करने हेतु समय—समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार छह प्रतिशत पद अंधे, गूंगे तथा अन्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित

रखे जाएंगे।

(14) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नित द्वारा भर्ती के मामले में विश्वविद्यालय प्रत्येक प्रवर्ग का, जिसमें पदोन्नित द्वारा नियुक्ति की जानी हो, अवधारण करेगा जो फीडर केंडर कहलाएगा। चयन सिमित केवल उन कर्मचारियों के नामों पर विचार करेगी जिन्होंने फीडर कैंडर में अपेक्षित न्यूनतम सेवा अविध पूर्ण कर ली हो। पदोन्नित, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 तथा समय—समय पर उसमें किए गए संशोधन के अनुसार की जाएगी।

1. नियुक्ति की प्रक्रिया .—

(1) इस परिनियम के अनुसार सह आचार्य तथा उसके समतुल्य पदों तक की श्रेणी के समस्त अधिकारियों तथा अध्यापन पदों के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों की योग्यता कमानुसार तैयार सूची, कुलपति द्वारा अपनी स्वयं की अभिलिखित सिफारिशों के साथ विचारण के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) बोर्ड, सिफारिशों को स्वीकार और अनुमोदित कर सकेगा या सिफारिशों को अनुमोदित करने से इन्कार करने के लिखित में कारण देते हुए लौटा देगा। ऐसे मामले में कुलपति, योग्यता कमानुसार

सिफारिश किए गए व्यक्तियों की एक अन्य सूची सम्यक् अनुक्रम में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(3) इस परिनियम के खण्ड 4 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम अर्हता की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए कुलपित आपात स्थिति में छह मास से अनिधक कालाविध के लिए किसी अध्यापन पद पर तदर्थ नियुक्ति करेगा। छह मास की कालाविध के परे ऐसी तदर्थ नियुक्ति के विस्तार के लिए बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

परिनियम क्रमांक 6

निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं तथा निदेशक, शिक्षण और विद्यार्थी कल्याण की नियुक्ति, परिलब्धियाँ, शक्तियां तथा कर्त्तव्य

- 1. निदेशक, अनुसंधान सेवाएं की परिलब्धियाँ, शक्तियां तथा कर्त्तव्य
 - (1) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, जिसमें प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सम्मिलित है, रूपये 37400—67000/— + ए.जी.पी. 10,000/— के वेतनमान में, तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किया जाए, वेतन प्राप्त करेगा।
 - (2) अनुसंधान सेवाओं के निदेशक को तीन वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि बोर्ड अनुमोदन करे, नियुक्त किया जाएगा।
 - (3) निदेशक, अनुसंधान सेवा का पद, किन्हीं अन्य निदेशकों से तथा महाविद्यालयों के किन्हीं संकायाध्यक्षों से भी अंतर्परिवर्तनीय होगा, बशर्ते कि न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा पूरी होती हों।
 - (4) निदेशक, अनुसंधान सेवा, के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :--
 - (क) छात्रों द्वारा उपाधि की अपेक्षा पूरी करने के लिए तथा विश्वविद्यालयीन अध्यापकों द्वारा अध्यापन योग्यता में सुधार के लिए किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों को छोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान कार्य की योजना और उसें अग्रसर किये जान पर सम्पूर्ण नियंत्रण करना,
 - (ख) अनुसंधान सेवा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजट प्राक्कलन जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किए जाएं, तैयार करना;
 - (ग) अनुसंधान सेवा के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रमों में लगे हुए महाविद्यालयीन कर्मचारीवृन्द के सदस्यों का पर्यवेक्षण करने में संबंधित संकायाध्यक्ष की सहायता करनाः
 - (घ) अनुसंधान परिणामों के संकलन की अपेक्षा और पर्यवेक्षण करना तथा अनुसंधान निष्कर्षों का समुचित प्रकाशन करना;
 - (ङ) संबंधित संकायाध्यक्षों के परामर्श से, ऐसे सामान्य प्रारूप में तथा ऐसी संख्या में जैसी कि अवधारित की जाए, अनुसंधान पाण्डुलिपियों को प्रकाशन के लिए अनुमोदित करना;
 - (च) सभी प्रकाशनों की संख्या समनुदेशित करना तथा सभी प्रकाशनों का अधिकृत अभिलेख संधारित करना;
 - (छ) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन में कुलपित के प्रति उत्तरदायी रहना;
 - (ज) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों, विनियमों द्वारा या कुलपित द्वारा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

- 2. (2) निदेशक, विस्तार सेवा की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .--
 - (1) निदेशक, विस्तार सेवाएं जिसमें प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सम्मिलित है, रूपये 37400–67000/— + ए.जी.पी. 10,000/— के वेतनमान में, और बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किए अनुसार वेतन प्राप्त करेगा।
 - (2) निदेशक, विस्तार सेवाएं तीन वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि बोर्ड अनुमोदन करे, नियुक्त किया जाएगा।
 - (3) निदेशक, विस्तार सेवा का पद, किन्हीं अन्य निदेशकों से तथा महाविद्यालयों के किन्हीं संकायाध्यक्षों से भी अंतर्परिवर्तनीय होगा, बशर्ते कि न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा पूरी होती हो।
 - (4) निदेशक, विस्तार सेवा के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :--
 - (क) कैंपस के भीतर तथा कैंपस के बाहर होने वाले ऐसे शैक्षणिक कार्य पर सम्पूर्ण नियंत्रण करना जिससे कृषक तथा ग्रामीण परिवार जुड़े हों;
 - (ख) विस्तार योजना के संबंध में, कृषकों तथा अन्य गैर—छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्यक बजट तथा वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना;
 - (ग) विस्तार शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास करने में तथा छात्रों को पढ़ाने में संकायाध्यक्षों की सहायता करना;
 - (घ) कृषि सहकारिताओं तथा ग्रामीण युवाओं के साथ कैंपस के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना:
 - (ङ) महाविद्यालयों और इकाइयों को समनुदेशित या संबद्ध, विस्तार विशेषज्ञों का और स्टाफ के ऐसे अन्य सदस्यों का जो कृषि विज्ञान केन्द्रों में विस्तार कार्यों में लगे हों, पर्यवेक्षण करना तथा विस्तार कार्य का मार्गदर्शन करना;
 - (च) विस्तार कार्यक्रम के बेहतर विकास के लिए प्रकाशन, फिल्म आदि जैसी सामग्रियों को तैयार करने के कार्य का निर्देशन करना;
 - (छ) विश्वविद्यालय की विस्तार सेवाओं के भाग के रूप में किसी साामग्री का वितरण करना;
 - (ज) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;
 - (झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों, विनियमों या कुलपित द्वारा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

- 1. निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .-
 - (1) निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण रूपये 37400—67000/— के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किए अनुसार वेतन प्राप्त करेगा।
 - (2) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण को तीन वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि बोर्ड अनुमोदन करे, नियुक्त किया जाएगा।
 - (3) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण का पद, किन्हीं अन्य निदेशकों से तथा महाविद्यालयों के किन्हीं संकायाध्यक्षों से भी अंतर्परिवर्तनीय होगा, बशर्ते कि न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा पूरी होती हो।
 - (4) निदेशक, शिक्षण, विश्वविद्यालय के समस्त संकायों में और सहबद्ध विषय में शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रभारी होगा।
 - (5) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :--
 - (क) विद्यार्थियों में व्यावसायिक सक्षमता, चरित्र तथा नेतृत्व के गुण को अन्तर्निविष्ट करने के लिए संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से, पाठ्यकमों तथा पाठ्यचर्चाओं की रचना, विकास, मूल्यांकन तथा सुधार करना एवं अध्यापन प्रक्रिया का विकास करना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालयों में अध्यापन तथा परीक्षा का एक समान मानक सुनिश्चित करना;
 - (ग) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा की एक एकीकृत पद्धति का विकास करना एवं विभिन्न संकायों में अध्यापन कार्यों का समन्वय करना;
 - (घ) संघटक महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों एवं फार्मों के शैक्षणिक कर्मचारियों को सेवान्तर्गत तथा रनातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रबंध करना;
 - (ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा रनातकोत्तर उपाधियों की अपेक्षाओं की तैयारी में किए जा रहे कार्य की योजना तथा समन्वय पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना;
 - (च) उस संबंधित महाविद्यालयीन संकाय के साथ जिसमें छात्र अध्ययन कर रहे हों, समन्वय करना जिससे विभिन्न उपाधियों के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति उचित रीति में की जा सके;
 - (छ) अन्य विश्वविद्यालयों के अधिकारियों एवं प्राधिकारियों के साथ समन्वय करने में छात्रों की गैर—शैक्षणिक गतिविधियाँ जिनमें क्लब, मनोरंजन केन्द्र, सहकारिताएं आदि सम्मिलित हैं जिन्हें विद्यार्थी कल्याण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किया जाए, योजना बनाना और उसे निदेशित करना;

1.

- (ज) छात्रों के छात्रावास, भोजनालय व्यवस्था एवं स्वल्पाहार गृह के प्रबंधन का महाविद्यालय के संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से, पर्यवेक्षण करना;
- (झ) शारीरिक शिक्षा, एन.एस.एस., राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.) और अन्य संबद्ध कियाकलापों के प्रभारी कर्मचारियों के साथ सहयोग करना;
- (ञ) अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से, संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से, छात्रों की अनुशासन—हीनता, अत्यधिक अनुपस्थिति एवं अन्य अनियमितताओं का निराकरण करना;
- (ट) छात्रों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कायक्रमों एवं चिकित्सीय सुविधाओं का पर्यवेक्षण करनाः
- (ठ) विद्यार्थी कल्याण के लिए छात्र वृत्ति, बजीफों और अन्य ऐसी सहायता की जो आवश्यक समझी जाए, व्यवस्था करना:
- (ड) विद्यार्थी कल्याण के संबंध में विद्यार्थी के अभिभावकों से बातचीत करना;
- (ढ) ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने विश्वविद्यालय से पाठ्यकम पूरा कर लिया है, नियोजन के मामले में प्लेसमेंट सेल का सुजन और प्रबंध करना;
- (ण) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन में, कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;
- (त) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जोकि परिनियमों, विनियमों या बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा उसे दिए जाएं।

परिनियम क्रमांक ७

संकायाध्यक्षों, महाविद्यालय के संकायाध्यक्षों तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां एवं कर्तव्य

संकायाघ्यक्षों की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .—

(1) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपित की अनुशंसा पर, महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों में से, कुलाधिपित द्वारा तीन वर्ष की कालाविध के लिए की जाएगी। कुलपित को, सेवा की अत्यावश्यकता तथा प्रशासिनक सुविधा के आधार पर इस कालाविध को कम करने हेतु कुलाधिपित को अनुसंशा करने की शक्ति होगी। संकायाध्यक्ष, रूपये 37400–67000/- + ए.जी.पी 10,000/- के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए, वेतनमान प्राप्त करेगा।

- (2) संकायाध्यक्ष .-
- (क) प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा तथा प्रशासन और संकाय की नीतियों के निष्पादन के लिए कुलपित के प्रति उत्तरदायी होगा ;
- (ख) संकाय से संबंधित परिनियमों और अन्य विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (ग) किसी भी सदस्य के परिषद् के समक्ष कोई भी विषय प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नीतियों की रचना करेगा तथा उन्हें विधा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा ;
- (घ) संकाय में, संबंधित निदेशक की सम्यक् सलाह से अध्यापन/अनुसंधान/ विस्तार से संबंधित पाठ्यचर्याओं, पाठ्यकमों की रूपरेखाओं, परीक्षाओं, पंजीयन तथा प्रवेश आदि की संबंधित नीतियों तथा कार्यकमों से संबद्घ विषयों का संगठन करने, सलाह देने, मार्गदर्शन करने, तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में कुलपित तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों, महाविद्यालयों, छात्रों तथा जनता के साथ संकाय के सभी सरकारी कामकाज के लिए सम्पर्क के माध्यम के रूप में कार्य करेगा।
- (च) ऐसे अन्य कर्तव्य तथा कृत्य करेगा जोकि परिनियमों, विनियमों, या कुलपित द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उसे समनुदेशित किए जाएं।

2. महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य -

- (1) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, परिनियम 1 (1) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष रूपये 37400—67000 के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किया जाए वेतन प्राप्त करेगा।
- (2) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -
 - (क) उस महाविद्यालय और उस क्षेत्र के, जिसका कि वह प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रमुख है, सभी कर्मचारियों, छात्रों, गतिविधियों, सुविधाओं तथा उसमें उपगत व्यय के संबंध में सम्पूर्ण नियंत्रण रखना;
 - (ख) महाविद्यालय के स्टाफ के अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा महाविद्यालय के सभी छात्रों के कार्य तथा आचरण के लिए उत्तरदायी होना ;
 - (ग) इस परिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों निर्वहन के लिए संकायाध्यक्ष तथा संबंधित निदेशक के माध्यम से, कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;
 - (घ) उस महाविद्यालय के संबंध में जिसका कि वह संकायाध्यक्ष है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि उसे कुलपित द्वारा प्रत्यायोजित या समनुदेशित किए जाएं तथा अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार

आदि से जुड़े सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक विषयों में, संबंधित संकायाध्यक्ष तथा निदेशक के माध्यम से उत्तरदायी होना.

(3) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष -

- (क) परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (ख) अपने महाविद्यालय में, विद्यार्थियों के प्रवेश, रिजस्ट्रीकरण, आचरण, तथा अनुशासन और प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा ;
- (ग) अपने महाविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक विषयों पर नीतियां तैयार करेगा तथा संकायाध्यक्ष / निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के माध्यम से, संकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।
- (घ) महाविद्यालय/क्षेत्र से संलग्न, अनुसंधान केन्द्र/शिक्षण फार्म/ इकाईयों के उचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा:
- (ङ) महाविद्यालय / क्षेत्र से संलग्न अनुसंधान केन्द्र / शिक्षण फार्मस, भूमियों, भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य सम्पत्तियों के उपयोग तथा रखरखाव के लिए संबंधित प्राधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायी होगा;
- (च) महाविद्यालय के छात्रावासों के रखरखाव, पर्यवेक्षण तथा कार्यकारण के लिए उत्तरदायी होगा:
- (छ) भंडार सामग्रियों, उपस्करों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं के उपापन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि महाविद्यालय तथा उससे संलग्न इकाईयों के लिए आवश्यक हों;
- (ज) अपने नियंत्रणधीन संस्थाओं में अनुशासन के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा:
- (झ) अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ञ) महाविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों से संबंधित समस्त नीतियों तथा कार्यक्रमों को समन्वित आधार पर चलाने के लिए, संकायाध्यक्ष की सहायता करेगा;
- (ट) महाविद्यालयीन क्रियाकलापों के लिए प्रस्ताव और उसकी आवश्यकताओं के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और कुलपित के माध्यम से लेखा नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा। वह यह भी देखेगा कि सभी महाविद्यालयीन क्रियाकलाप समृचित प्राधिकारियों की मंजुरी के अनुसार हैं;
- (ठ) निदेशक, अनुसंधान सेवाओं की योजनाओं के विकास तथा प्रमुख विषयों के अनुसंधान के लिए बजट बनाने में तथा ऐसे प्रतिवेदन तैयार करने में, जोकि मांगे जाए उसकी सहायता करेगा एवं वैज्ञानिकों और छात्रों द्वारा तथा उसके

नियंत्रणाधीन संस्थाओं से संलग्न योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे अनुसंधान कार्य का निदेशन भी करेगा ;

- (ड) (एक) अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संबंध में, विस्तार कार्य के विकास की योजनाओं तथा बजट के संबंध में निदेशक, विस्तार सेवा की सहायता करना ;
 - (दो) सूचनात्मक सामग्रियों के विकास पर विस्तार सेवाओं की सहायता करेगा; तथा
 - (तीन) महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले शिक्षा विस्तार कार्य का निदेशन करेगा:
- (ढ़) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण की सहायता करेगा तथा अपने महाविद्यालय में समस्त छात्रों के अध्यापन कार्य का निदेशन करेगा;
- (ण) संकर्म अनुभाग के माध्यम से महाविद्यालय को समनुदेशित भवनों तथा कमरों के शैक्षणिक उपयोग के लिए तथा महाविद्यालय के सामान्य उपस्करों के लिए, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;
- (त) ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जैसे कि परिनियमों, विनियमों या कुलपित द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

3. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .--

- (एक) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 5 के 3 (2) के उपबंधों के अधीन होगी ;
- (दो) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष रूपए 37400—67000/— के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किया जाए वेतन प्राप्त करेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :--

- (क) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के परामर्श से विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों का रख—रखाव, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना और उनकी सेवाओं का संगठन ऐसी रीति से करना कि वे अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की आवश्यकताओं के लिए अत्यन्त लाभप्रद हों:
- (ख) विश्वविद्यालय के अधीन के समस्त पुस्तकालयों के विकास और उनके संचालन के लिए वार्षिक बजट तैयार करना;
- (ग) पुस्तकें खरीदने तथा छात्रों एवं स्टाफ के सदस्यों के बीच उनका वितरण करने के लिए संकायाध्यक्षों एवं निदेशकों से सिफारिशें प्राप्त करना तथा उनका समन्वय करना:

- (घ) संकर्म अनुभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में स्थान की सुविधा में सुधार की आवश्यकताओं पर लेखा नियंत्रक को सिफारिशें करना ;
- (ङ) पुस्तकालय तथा उसके सुधार से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करना जिनकी कि कुलपति अपेक्षा करें।

स्पष्टीकरण: इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए "विश्वविद्यालय के पुस्तकालय" के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिसर में के पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन आने वाले महाविद्यालयों तथा अन्य इकाईयों से संलग्न समस्त पुस्तकालय सिमालित हैं।

परिनियम क्रमांक 8 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी .— अधिनियम की धारा 23 मे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे : —
 - (एक) समन्वय परिषद् ;
 - (दो) बोर्ड ;
 - (तीन) विद्या परिषद् ;
 - (चार) संकाय ;

और

ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

- 2. समन्वय परिषद् राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों का समन्वय करने लिए एक परिषद् होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 24 में विहित है। समन्वय परिषद् का, अधिनियम की धारा 25 के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार सम्मिलन किया जाएगा। परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य अधिनियम की धारा 26 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- 3. बोर्ड कुलाधिपित, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड की वही शिक्तयाँ तथा कर्तव्य होंगे जो अधिनियम की धारा 29 में विनिर्दिष्ट हैं। बोर्ड ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसी शिक्तयों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम की उक्त धारा में विनिर्दिष्ट हैं।

परिनियम क्रमांक 9

विद्या परिषद्

- विद्या परिषद् .- (1) विद्या परिषद् का गठन, उतने सदस्यों से मिलकर होगा जितने कि अधिनियम की धारा
 30 में विनिर्दिष्ट हैं तथा उसे वही शक्तियां होंगी और उसके वही कर्तव्य होंगे जो अधिनियम की धारा 31 में दिए गऐ हैं।
- 2. विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में से एक अध्यापक का चयन, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (छह) के अधीन मत द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा :
 - (क) एक सदस्य, कृषि संकाय द्वारा उसके सदस्यों में से चयनित होगा ;
 - (ख) एक सदस्य, पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन संकाय द्वारा उसके सदस्यों में से चयनित होगा
 - (ग) एक सदस्य, कृषि अभियांत्रिकी संकाय द्वारा उसके सदस्यों में से चयनित होगा।
 - (घ) एक सदस्य, अन्य संकायों में से, यदि कोई हों, उसके सदस्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा इस प्रकार चयनित होगा; जैसा कि कुलपति द्वारा अवधारित किया जाए।
 - 3. विद्या परिषद् ऐसे विनियम बनाएगी जो विश्वविद्यालय के संकायों के उद्देश्यों तथा उपाधि की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न संकायों द्वारा पाठ्यचर्या तथा पाठ्य विवरण के विकास के लिए अधिनियम की धारा 31 में यथा उपबंधित परिनियमों से असंगत न हों। ऐसे विनियमों में यह भी उपबंध होगा कि संकायों के प्रस्ताव, विद्या परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे। परिषद्, ऐसे विनियमों का भी उपबंध करेगी जो विभिन्न संकायों की प्रवेश की आवश्यकताओं, छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों का कार्य तथा वित्तीय सहायता, उपाधियां/पत्रोपाधियां प्रदान करने आदि की दृष्टि से परिनियम 5 के उपबंधों से असंगत न हों।

परिनियम क्रमांक 10

संकाय

- 1. संकाय .-
 - (क) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :--
 - (एक) कृषि संकाय.
 - (दो) पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन संकाय.
 - (तीन) कृषि अभियांत्रिकी संकाय.
 - (चार) ऊपर उल्लिखित विषयों से भिन्न प्रत्येक ऐसे विषय का संकाय जिसके लिए कोई नई संस्था खोली गई हो या छात्रों को शैक्षणिक उपाधियों के लिए अर्ह बनाने के लिए उसी प्रकार की अन्य संकायें खोली गई हो.

- (ख) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होगें :--
 - (एक) संकायाध्यक्ष. अध्यक्ष
 - (दो) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं.
 - (तीन) निदेशक, विस्तार सेवाएं.
 - (चार) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण.
 - (पाँच) महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष.
 - (छह) अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष.
 - (सात) संकायाध्यक्ष द्वारा निदेशक, अनुसंधान/निदेशक, विस्तार सेवाएं/निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के परामर्श से अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालाविध के लिए नामनिर्दिष्ट छह वरिष्ठ आचार्य, जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्र/क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के तीन सह—निदेशक, अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय की सेवा में नियोजित तीन विस्तार विशेषज्ञ.
 - (आठ) दो वरिष्ठ शाखा प्रमुख चक्रानुक्रम से, दो वर्ष की कालावधि के लिए.
 - (नौ) दो से अनधिक सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें संकायाध्यक्ष दो वर्ष की कालावधि के लिए सहयोजित करे.
 - (दस) अन्य संकायों में से प्रत्येक संकाय से एक सदस्य, जिसे अध्यक्ष संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से ऐसी कालाविध के लिए सहयोजित करे जैसा वह उचित समझे.
 - (ग्यारह) परिनियम में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त कोई भी सदस्य संकाय के सिम्मलन में उपस्थित नहीं होगा।
- (ग) संकाय के कर्तव्य .- प्रत्येक संकाय के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे : -
 - (एक) प्रत्येक संकाय अपने संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा.
 - (दो) प्रत्येक संकाय, एक महाविद्यालयीन संगठनात्मक योजना तैयार करेगा जिसमें ऐसे विभागों की व्यवस्था होगी जो कि सर्वोत्तम हों और महाविद्यालय द्वारा तथा प्रत्येक संकाय में समाविष्ट विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य की परिधि परिभाषित की जायेगी। किसी संकाय के प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा और यदि वह परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसे विचार किए जाने के लिए बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा। परिषद् और/या बोर्ड द्वारा चाहे गये कोई भी परिवर्तन संकाय को निर्दिष्ट किए जाएंगे।
 - (तीन) प्रत्येक संकाय, अपने कार्य के क्षेत्र से संबंधित किसी प्रश्न पर या विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी भी विषय पर विचार करेगी तथा विद्या परिषद् को ऐसी सिफारिशें करेगी जैसी आवश्यक प्रतीत हों।

- (चार) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय, विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महाविद्यालयीन पाठ्यचर्याएं तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करेगा तथा अध्यापन, प्रयोगशालाएं तथा मैदानी अनुभवों एवं शिक्षा प्राप्ति के अन्य अवसरों का उपबंध करेगा और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसंधान तथा विस्तार क्रियाकलापों में भाग लेगा।
- (पांच) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय, महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की विस्तृत शर्तें विहित करेगा तथा संकाय के विभिन्न अध्ययन पाठ्यकमों में महाविद्यालयों के छात्रों की प्रगति तथा उपलिक्षयों के मूल्यांकन के लिए मानक तैयार करेगा तथा जो छात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहते हों, उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश करेगी।
- (छह) संकाय, कुलसचिव के माध्यम से, बोर्ड को, उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए, उन छात्रों को, जिन्होंने संकाय तथा विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की संतोषजनक रीति से पूर्ति की है, उपाधि प्रदान करने की सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(घ) परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए, संकाय .-

- (एक) कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जो कि महाविद्यालय के छात्र न हों, प्रशिक्षण की योजनाओं के विकास के लिए विस्तार सेवाओं में सहायता करेगा तथा निदेशक, विस्तार सेवा को, उन व्यक्तियों की, जो कि विहित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं पत्रोपाधि, प्रमाण—पत्र या अन्य मान्यता जारी करने की सिफारिश करेगा।
- (दो) कृषकों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लक्षित अनुसंधान कार्य के संचालन की योजनाओं के विकास में अनुसंधान सेवा को सहायता करेगा।

परिनियम क्रमांक 11 अन्य प्राधिकारियों का गठन तथा कर्तव्य

अन्य प्राधिकारियों की घोषणा .—

- (एक) अधिनियम की धारा 23 में मद (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :--
 - (क) प्रशासनिक परिषद्.
 - (ख) विस्तार शिक्षा परिषद्.
 - (ग) अनुसंधान परिषद्.
 - (घ) रनातकोत्तर अध्ययन परिषद्.

2. प्रशासनिक परिषद .--

- (1) प्रशासनिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति अध्यक्ष ।
 - (ख) सभी संकायाध्यक्ष।
 - (ग) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं।
 - (घ) निदेशक, विस्तार सेवाएं।
 - (ङ) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण।
 - (च) कुलसचिव सचिव।
 - (छ) महाविद्यालयों के दो संकायाध्यक्ष जो कुलपित द्वारा चक्रानुक्रम से दो वर्ष की कालाविध के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
 - (ज) लेखा-नियंत्रक।
 - (झ) कार्यपालन यंत्री या संकर्म अनुभाग का प्रभारी;
 - (ञ) कृषि संकाय से दो विभागाध्यक्ष एक पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय से और एक कृषि यान्त्रिकी संकाय से, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के अनुसार दो वर्ष की कालाविध के लिए।
 - (2) प्रशासनिक परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह कुलपित को विधा संबंधी विषयों को छोड़कर, ऐसे सभी विषयों पर, जिनका विश्वविद्यालय से संबंध हो और जो उसे बोर्ड, कुलपित, विद्या परिषद् या संकायों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, अनुशंसा करे।

3. विस्तार शिक्षा परिषद् .-

- (एक) विस्तार शिक्षा परिषद् में, निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--
 - (क) निदेशक, विस्तार सेवाएं अध्यक्ष ;
 - (ख) सभी संकायाध्यक्ष ;
 - (ग) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं ;
 - (घ) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण ;
 - (ङ) महाविद्यालयों के दो संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से दो वर्ष की कालाविध के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;
 - (च) विस्तार सेवाओं के विभागाध्यक्ष ;
 - (छ) कृषि विज्ञान केन्द्रों से दो विशेषज्ञ ;
 - (ज) मुख्यालय का संयुक्त निदेशक, विस्तार सेवाएं सचिव ।

- (दो) विस्तार शिक्षा परिषद्, निदेशक, विस्तार सेवा के प्रति उत्तरदायी होगी और शिक्षा, विस्तार शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा अनुशंसाएं करेगी:—
 - (क) महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण ;
 - (ख) कृषिक ग्रामीण जीवन विस्तार सेवा ;
 - (ग) कृषकों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना ;
 - (घ) गैर-छात्रों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम का संचालन ;
 - (ङ) कृषकों के लाभ के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम ;
 - (च) कृषि उत्पादन का विकास तथा सहकारिताओं का बनाया जाना ;
 - (छ) कृषि के विकास के लिए, विस्तार के बेहतर विकास के लिए, सामग्री जैसे प्रकाशन, फिल्में आदि तैयार करना ;
 - (ज) कृषि विज्ञान केन्द्रों के दक्षतापूर्ण कार्यकरण और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए उचित अनुशंसाएं करना ।

1 अनुसंधान परिषद् .—

- (1) अनुसंधान परिषद् में, निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--
 - (क) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं.
 - (ख) सभी संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष.
 - (ग) निदेशक, विस्तार सेवाएं.
 - (घ) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण.
 - (ङ) अनुसंधान केन्द्रों से सह–निदेशक, अनुसंधान.
 - (च) पुस्तकालयाध्यक्ष.
 - (छ) दो से अनधिक ऐसे अन्य विभागाध्यक्ष जो कि निदेशक, अनुसंधान सेवा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं.
 - (ज) मुख्यालय का सह–निदेशक, अनुसंधान सचिव.
- (2) अनुसंधान परिषद्, निदेशक, अनुसंधान सेवा के प्रति उत्तरदायी होगी और वह विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों पर और विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी:—
 - (क) कृषि ग्रामीण जीवन अनुसंधान सेवा;
 - (ख) कृषि के विकास के लिए सामग्री, अनुसंधान विस्तार के बेहतर विकास के लिए, सामग्री जैसे प्रकाशन, फिल्में आदि तैयार करना।

5. रनातकोत्तर अध्ययन परिषद् .-

- (1) रनातकोत्तर अध्ययन परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--
 - (क) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष.
 - (ख) सभी संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष.
 - (ग) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं.
 - (घ) निदेशक, विस्तार सेवाएं.
 - (ङ) पुरत्तकालयाध्यक्ष.
 - (च) प्रत्येक संकाय के अध्यापन से जुड़े दो विषठ आचार्य जो चक्रानुक्रम से निदेशक,शिक्षण एव विद्यार्थी कल्याण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.
 - (छ) निदेशक, शिक्षण के कार्यालय का उपनिदेशक-सचिव.
- (2) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्, विद्या परिषद् के समग्र कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी किन्तु निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के प्रति उत्तरदायी होगी और गुणवत्ता, अध्यापन तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी और सिफारिश करेगी:—
 - (क) विश्वविद्यालय के विभिन्न उपाधि पाठ्यक्रमों का विकास तथा प्रवेश के मानक अधिकथित करना;
 - (ख) रनातकोत्तर अनुसंधान और विभिन्न उपाधियों के लिए अन्य अपेक्षाएं, पाठ्यक्रम का निर्धारणः
 - (ग) विभिन्न उपाधियां प्रदान करने के लिए संबंधित संकायाध्यक्ष की सहमित से सभी उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना;
 - (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जैसे कि कुलपति द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

परिनियम क्रमांक 12 प्राधिकारियों की समितियाँ

3. प्राधिकारियों की समितियाँ .-

- (क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसी समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जैसी कि वह अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- (ख) प्रत्येक समिति में अन्य प्राधिकारियों के सदस्य या सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जा सकेगा जिन्हें प्राधिकारी नियुक्त करना उचित समझे।

परिनियम क्रमांक 13 प्राधिकारियों और समितियों के नामनिर्दिष्ट सदस्यों तथा विशेषज्ञों को यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते

संबंधित परिनियमों के अधीन शासकीय सेवकों से भिन्न प्राधिकारियों के नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए विशेष कार्य में लगे हुए बाहरी विशेषज्ञों को प्राधिकारी के या उसकी किसी समिति के सिम्मलन में उपस्थित होने के लिए ऐसी दर से यात्रा तथा दैनिक भत्ता देय होगा जैसा कि बोर्ड समय—समय पर परिनियमों द्वारा अवधारित करे।

परिनियम क्रमांक 14 शिक्षकों की नियुक्ति, अर्हताएं और वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्ते

- (1) नियुक्ति .-ऐसे व्यक्ति भी विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे जो बोर्ड द्वारा ऊपर उल्लिखित किन्हीं संवर्गों में मानद शिक्षक के रूप में, ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जैसा कि बोर्ड विनियमों द्वारा विहित करे, नियुक्त किए गए हों।
 - (क) "अध्यापक" से अभिप्रेत है, अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रम की शिक्षा देने और/या संचालन तथा मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक अथवा कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक घोषित किए गए आचार्य, सह—आचार्य तथा सहायक आचार्य सम्मिलित हैं।
 - (ख) कोई "अध्यापक" (कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर) जो अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी के रूप में पदोन्नित द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया जाए और वह 20 वर्ष से अनिधक से अध्यापन में संलग्न हो, और विश्वविद्यालय में किसी पद पर धारणाधिकार (लियन) रखता है, वह भी इस परिनियम के अधीन अध्यापक होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के हित में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.) या लायसन और कीड़ा संबंधी किसी भी प्रकृति का प्रशासनिक कार्य समनुदेशित किया जाता है तो वह भी इस परिनियम के अंतर्गत अध्यापक समझा जाएगा।
 - (2) कोई अध्यापक, शिक्षण प्रदान करने के लिए और / या अनुसंधान तथा / या विस्तार कार्यक्रम जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र सम्मिलित है, का केवल उन्ही मानदण्डों तक संचालन या मार्गदर्शन करने के लिए पात्र होगा जिसके लिए बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गये विनियमों के अनुसार उसे इस रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।
 - (3) अध्यापक, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि विद्या परिषद् / प्रशासनिक परिषद् द्वारा विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।
 - (4) जहाँ कहीं भी शब्द "अध्यापक/अध्यापकों" आए हों, वहाँ उसमें / उनमें अनुसंधान, विस्तार तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अर्हताएं .—

बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद्, विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के अभ्यर्थियों के लिए अर्हताएं विहित करेगी।

5. अध्यापकों के वेतनमान तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें .-

- (1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान ऐसे होंगे जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर घोषित किए जाएं .—
 - (क) प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सीधी भर्ती द्वारा)
 - (ख) प्रोफेसर

| (ग) | सह आचार्य | | (शिक्षकों के प्रत्येक |
|-----|--------------|-------------------------|------------------------|
| (ঘ) | सहायक आचार्य | (प्रवर श्रेणी वेतनमान) | प्रवर्ग के लिए वेतनमान |
| (ङ) | सहायक आचार्य | (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान) | कुलपति के परामर्श से |
| (च) | सहायक आचार्य | | प्रशासकीय विभाग द्वारा |
| | | | भरे जाएंगे) |

- (2) चयन समिति द्वारा लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों से की गई विशिष्ट सिफारिशों पर कुलपति, राज्य सरकार के परामर्श से उच्च प्रारंभिक वेतन स्वीकृत कर सकेगा :--
 - (क) उस पद के वेतनमान जिस पर पदोन्नित की गई हो के प्रारंभिक वेतन पर सात से अनिधक वेतनवृद्धियां; या
 - (ख) उस अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से ही नियोजित है उसका अन्यत्र वेतन मध्यप्रदेश सरकार के मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार संरक्षित किया जाएगा।
 - टीप: सभी मामले, जिनमें खण्ड (क) के अधीन अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान की गई हैं और खण्ड (ख) के अधीन वेतन संरक्षित किया गया है, उन्हें सम्यक् रूप से बोर्ड को प्रतिवेदित किया जाएगा।
- (3) अधिनियम तथा इस परिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाएं।
- (4) विश्वविद्यालय के सभी वैतनिक अध्यापकगण पूर्णकालिक अध्यापक होंगे तथा वे ऐसे अवकाश, भत्ते और अन्य लाभों के पात्र होंगे जो कि इस निमित्त, बोर्ड द्वारा, समय—समय पर अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विहित किए जाएं।

परिनियम क्रमांक 15 महाविद्यालयों के विभाग और अनुभाग प्रमुखों तथा अन्य अधिकारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य

गुख्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय की अध्यापन अनुभागों के प्रमुख/सह निदेशक अनुसंघान/अनुसंघान केन्द्र के प्रभारी तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य आदि।

विभाग, किसी संकाय के अंतर्गत ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की प्राथमिक इकाई है। विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रमुख/सह निदेशक अनुसंधान या अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :--

- (क) वे, विभाग में अध्यापन के आयोजन के लिए, तत्संबंधी कार्य की गुणवत्ता तथा दक्षतापूर्ण प्रगति के लिए तथा विभाग को प्रभावित करने वाली विभागीय नीतियों को तैयार तथा निष्पादित करने के लिए संकायाध्यक्ष के साथ ही निदेशक शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- (ख) वे, विभाग इकाई के अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य के बारे में संबंधित महाविद्यालय के क्षेत्रीय संकायाध्यक्ष को प्रतिवेदन देंगे और यथास्थिति, संबंधित संकायाध्यक्ष और निदेशकों को उसकी प्रतियां देंगे।
- (ग) इकाई / विभाग के कार्य पर उनका सम्पूर्ण पर्यवेक्षण होगा।
- (घ) वे, इकाई/विभाग का बजट तैयार करेंगे और आवंटित निधियों के उचित उपयोग और आय बढ़ाने तथा विभागों/इकाईयों की सम्पत्ति की देखभाल के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ङ) उन नीतियों, विषयों, प्रक्रियाओं पर जो विभाग / इकाई को समनुदेशित हों, विचार विमर्श के लिए नियमित रूप से विभाग / इकाई के कर्मचारिवृन्द की बैठकें बुलाएंगे और सभी कर्मचारियों को कार्य संस्कृति को बनाए रखने के लिए हाथ में लिए जाने वाले कार्य के स्वरूप और क्षेत्र के संबंध में विभाग / इकाई के सभी कर्मचारिवृन्द को सूचित करेंगे।
- (च) वे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यथास्थिति संबंधित संकायाध्यक्ष या निदेशकों के माध्यम से उन्हें प्रत्यायोजित किए जाएं या सौंपे जाएं।

परिनियम क्रमांक 16 अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, अवकाश तथा परिलब्धियां

1. विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी तथा उनकी सेवा शर्ते आदि .--

सेवा कार्मिक :— विश्वविद्यालय इसमें इसके पूर्व उल्लिखित कर्मचारियों से भिन्न ऐसे अन्य सेवा कार्मिकों को नियोजित करेगा जैसे कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए समय—समय पर आवश्यक समझे जाएं। ऐसे सेवा कार्मिकों के वेतनमान, भर्ती के लिए अर्हताएं, प्रवेश स्तर पर पद, उनकी सेवा शर्तें तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे बोर्ड द्वारा प्रशासनिक परिषद् की सिफारिश पर विहित किए जाएं। ऐसे सेवा कार्मिक विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होंगे तथा उनके प्रति उत्तरदायी होंगे :

परंतु दण्ड या प्रतिकूल सेवा शर्तों के विरूद्ध कार्मिक द्वारा अपील, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए।

2. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त कार्य .—

- (क) विश्वविद्यालय का कर्मचारी, उसके विहित नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिए किए गए कार्य के लिए ऐसी दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी कि सम्बंधित संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश सरकार में प्रचलित है। यह अतिरिक्त पारिश्रमिक, कुलपित से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, लेखा नियंत्रक द्वारा मंजूर किया जाएगा।
- (ख) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी (जिसमें अधिकारी, अध्यापक या सेवा कार्मिक सम्मिलित हैं) विश्वविद्यालय के बाहर के किसी भी कार्यकलाप में स्वयं को संलग्न नहीं करेगा, जब ऐसे कार्यकलापों से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाए, कार्यवाही करेगा।
- 3. अवकाश विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, ऐसे अवकाश नियमों से शासित होंगे, जैसे कि मध्यप्रदेश सरकार के समान केंडर या ग्रेड के सेवकों को लागू हों।

परिनियम क्रमांक 17 भविष्य निधि योजना

- परिभाषाएं .- इस परिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक ४ सन् 2009) ;
 - (ख) ''सिमिति'' से अभिप्रेत हैं, निधि के प्रशासन के लिए इस परिनियम के अधीन गठित सिमिति :

- (ग) ''निरंतर सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित निर्बाध सेवा ;
- (घ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत हैं, परिनियमों के उपबंधों के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी पद पर विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति, परन्तु इसमें प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ, या दैनिक मजदूरी पर या कार्यभारित स्थापना पर या संविदा आधार पर रखा गया व्यक्ति सम्मिलत नहीं हैं:
- (ङ) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित कोई परिवार ;
- (च) "निधि" से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि:
- (छ) किसी कर्मचारी के संबंध में ''वेतन'' से अभिप्रेत है, मासिक वेतन तथा जिसमें कर्मचारी को देय समस्त नियत भत्ते सम्मिलित हैं :
- (ज) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;
- (झ) ''अभिदाता'' से अभिप्रेत है, ऐसा कर्मचारी जिसकी ओर से परिनियम के अधीन अभिदाय की रकम निक्षिप्त की जाती है :
- (ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;
- (ट) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ;
- (ठ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार की कोषालय संहिता तथा वित्तीय संहिता में यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष ;
- (ड) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस परिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

2. भविष्य निधि लेखा का प्रशासन तथा लेखा परीक्षा .-

- (एक) निधि, विश्वविद्यालय द्वारा धारित की जाएगी और कुलपित द्वारा गठित समिति द्वारा प्रशासित होगी जिसमें कुलपित, कुल सचिव, लेखा नियंत्रक तथा कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्मचारियों के कम से कम दो प्रतिनिधि समाविष्ट होंगे। समिति, एक चार्टर्ड अकाउन्टेंट को भी सहयोजित कर सकती है।
- (दो) निधि की समस्त धनराशि, भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों में जैसे कि समिति द्वारा इस संबंध में विनिश्चित किए जाएं, जमा की जाएगी या उसका राज्यों अथवा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया अंशदायी भविष्य निधि के नाम से निवेश किया जाएगा, जिसे कि लेखा नियंत्रक और एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कि समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।
- (तीन) निधि के लेखे 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रूप से तैयार किए जाएंगे और लेखाओं का लेखा परीक्षण विवरण प्रतिवर्ष समिति की 31 अगस्त के अपश्चात् होने वाली बैठक के समक्ष या लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा की तारीख से 2 माह के भीतर जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रस्तुत

किया जाएगा तथा ऐसे विवरण की एक प्रति अभिदाताओं को ऐसी बैठक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

- (चार) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा उसी प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा करता है या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा की जाएगी।
- (पाँच) सिमिति की प्रत्येक बैठक की कुलपित या उसकी अनुपिश्थिति में कुलसिवव या दोनों की अनुपिश्थिति में लेखा नियंत्रक अध्यक्षता करेगा। कार्य करने के लिए गणपूर्ति हेतु कम से कम तीन सदस्यों की उपिश्थिति आवश्यक होगी। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा समान मत होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी का मत निर्णायक होगा।

1. निधि में अभिदान .--

(एक) उन कर्मचारियों के सिवाय जो कि अधिनियम की धारा 57 के अधीन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सेवा से विश्वविद्यालय में आमेलित कर लिए गये हों और जिन्होंने सेवानिवृत्ति लाभ की अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प दिया हो, इस परिनियम के खण्ड 2 (घ) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि उसने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, पश्चात् आने वाले मास के प्रारम्भ से अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता बनने की हकदार हो जाएगा और उससे अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता बनने की अपेक्षा की जाएगी:

परन्तु ऐसे कर्मचारी को जिसे उपर्युक्त उपबंधों के संबंध में भविष्य निधि के लाभ दिए गए हों, विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 60 (साठ) दिन के भीतर अभिदान देने का विकल्प होगा और उस दशा में, विश्वविद्यालय भी उसके खाते में इस परिनियम में यथा विहित दर पर राशि का अंशदान करेगा। अभिदान की बकाया राशि उपयुक्त मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी:

परन्तु यह और कि इस उपखण्ड में की कोई भी बात प्रतिनियुक्ति पर नियोजित कर्मचारी या संविदा पर रखे गये या दैनिक मजदूरी पर या कार्यभारित स्थापना पर रखे गए कर्मचारी को लागू नहीं होगी।

- (दो) उपर्युक्त उपखण्ड (एक) द्वारा अपवर्जित कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय से आकस्मिक पारिश्रमिक पाने वाले से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति भी निधि में अभिदान कर सकेंगे और उनकी निधि, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार विनियमित की जाएगी।
- (तीन) अभिदाता, निधि में उसके वेतन के 10 प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर जो कि उसके द्वारा समय—समय पर नियत की जाए, मासिक अभिदान करेगा। अभिदान की दर नियत करने का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्ररूप में किया जाएगा। ऐसा अभिदान, विश्वविद्यालय द्वारा अभिदाता को देय वेतन में से प्रतिमाह काटा जाएगा। विश्वविद्यालय का अंशदान, इस परिनियम में उपबंधित किए गये अनुसार नियत रहेगा।

- (चार) उपर्युक्त सीमाओं के भीतर, अभिदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ से अभिदान की दर में परिवर्तन कर सकता है।
- (पांच) एक बार नियत की गई अभिदान की दर वर्ष भर अपरिवर्तित रहेगी।
- (छह) इस खण्ड के उपखण्ड (तीन) से (पांच) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी, निधि में मासिक रूप से महंगाई भत्ते के ऐसे भाग का अभिदान करेंगे जैसा कि लेखा नियंत्रक द्वारा इस निमित्त समय—समय पर निर्देशित किया जाए। ऐसे अभिदान के कारण विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जाएगा।
- (सात) अनिधकृत अवकाश पर गए या निलंबित किए गए कर्मचारी का अभिदान उसकी अनिधकृत अवकाश या निलंबन की कालाविध के दौरान नहीं लिया जाएगा तथापि, यदि वह सम्मानपूर्वक दोषमुक्त या पूर्ण वेतन पर बहाल हो जाता है या उसकी अनिधकृत अनुपस्थिति नियमित कर दी जाती है तो निलंबन की अविध या अवकाश की अविध का सम्पूर्ण अंशदान उससे वसूल कर लिया जाएगा और विश्वविद्यालय का अंशदान इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार देय होगा।
- (आठ) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय प्रतिमाह प्रत्येक अभिदाता के वेतन का 10 प्रतिशत निधि में नियोक्ता का अंशदान देगा परन्तु किसी ऐसे अभिदाता के संबंध में जिसे उपखण्ड (छह) के अधीन अतिरिक्त अभिदान देने की अनुमित दी गई हो, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा अंशदान नहीं दिया जाएगा।

2. ब्याज .-

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 31 मार्च को या तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र –

- (क) वर्ष के दौरान निधि के निवेश पर प्रोद्भूत तथा प्राप्त कुल ब्याज का एक लेखा तैयार करेगा ;
- (ख) विश्वविद्यालय के कुलपित के अनुमोदन से ऐसी दर अवधारित तथा अधिसूचित करेगा जिस पर कि वर्ष के दौरान निधि के प्रत्येक अभिदाता के लेखे में जमा समस्त राशियों पर ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा;
- (ग) पूर्वगामी वर्ष के दौरान प्रत्येक अभिदाता के लेखे में शेष मासिक गुणनफलों के आधार पर प्रत्येक अभिदाता को देय ब्याज की राशि जमा करेगा ; और
- (घ) अभिदाता के नाम पर निधि की पुस्तकों में जमा समस्त राशियों पर ब्याज सेवानिवृत्ति / पदत्याग / सेवा समाप्ति / मृत्यु की तारीख के बाद छह माह की कालाविध तक के लिए देय होगा :

परन्तु यदि यह पाया जाए कि भुगतान करने में विलम्ब विश्वविद्यालय की ओर से हुआ है तो उस तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

3. निधि से प्रत्याहरण तथा वसूलियां .-

लेखा नियंत्रक, कुलपति के पूर्व अनुमोदन से अभिदाता को उसकी निधि के खाते में जमा राशि से, किसी भी दशा में, अभिदान और उस पर ब्याज की जमा राशि से अनिधक राशि का अस्थाई अग्रिम मंजूर कर सकेगा। यह मंजूरी आवेदन दिए जाने पर अभिदाता को, सामान्य भविष्य निधि नियम के अधीन अग्रिम लेने और लिए गए अग्रिम को चुकाने की मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रदान की जा सकेगी।

4. अभिदाता के खाते में जमा राशि का भुगतान .--

, (एक) अभिदाता के खाते में जमा राशि, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, मृत्यु, छंटनी और / या सेवानिवृत्ति के कारण उसके द्वारा सेवा त्याग देने पर (नौकरी छोड़ देने पर) उसे भुगतान योग्य हो जाएगी:

परन्तु यदि कुलपित ऐसा निर्देश दे कि अभिदाता द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन विश्वविद्यालय को देय कोई राशि निधि से काटकर विश्वविद्यालय को भुगतान की जाए, तो विश्वविद्यालय द्वारा उसके खाते में अभिदान की गई कुल रकम के बराबर रकम, जिसमें उस बाबत जमा ब्याज सम्मिलित है, काटकर विश्वविद्यालय को भुगतान की जाएगी:

परन्तु यह और कि जहाँ अभिदाता घोर दुराचरण या घोर उपेक्षा के कारण अपने नियोजन से बर्खास्त कर दिया गया हो, वहाँ नियोक्ता के अंशदान की पूर्ण राशि या उसका कोई भाग उस पर जमा ब्याज सहित भुगतान नहीं किया जाएगा।

(दों) कोई भी कर्मचारी उसके निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा अभिदाय की गई राशि तथा उस पर ब्याज की रकम को पाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको कि उसे खण्ड 4 (तीन) में विहित दर से भविष्य निधि में अभिदान करने की अनुज्ञा दी गई हो, विश्वविद्यालय की सेवा में निरन्तर पांच वर्ष की कालाविध तक न रह चुका हो और यह कि उसे त्यागपत्र देने की अनुज्ञा दे दी गई हो या वह सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या उसकी छंटनी कर दी गई हो।

स्पष्टीकरण : अंशदायी भविष्य निधि खाता उस दिन बंद कर दिया जाएगा जिस दिन कि उपरोक्त घटना घटित हो।

7. नामनिर्देशन .--

प्रत्येक अभिदाता, निधि में सम्मिलित होने के पश्चात् यथाशीघ्र विश्वविद्यालय के कार्यालय को नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, निधि में उसके लेखे में जमा राशि प्राप्त करने का एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किया गया हो। नामांकन तथा विवादों के मामलों को, यदि कोई हो, विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए राज्य में प्रचलित नियमों का अनुसरण करेगा।

8. निधि के व्यय .-

निधि के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय जिसमें उन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सिम्मिलित हैं जो निधि के प्रशासन के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए हों विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे तथा निधि पर भारित नहीं किए जाएंगे।

9. समिति की शक्तियां -

- (1) इस परिनियम में उपबंधित नहीं किए गए विषयों के लिए, समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जैसी कि वह निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।
- (2) सिमिति पूरक विनियम भी तैयार कर सकेगी तथा बोर्ड के अनुमोदन से उन्हें अंगीकार कर सकेगी : परन्तु सिमिति उसे प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन तैयार की गई योजना या बनाए गए नियमों के अनुसार, विनियम तैयार करेगी।

10. अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा उपदान .--

कर्मचारी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के बनाए जाने के पूर्व 01.04.1987 से या उसके पश्चात् अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा उपदान का विकल्प दिया है, उक्त योजना द्वारा निरन्तर शासित बने रहेंगे तथा पेंशन तथा उपदान का आहरण करेंगे। अध्यापकों तथा सेवा कार्मिकों के लाभ के लिए पेंशन तथा उपदान हेतु विनियम, वैसे ही होंगे जैसे कि 01.04.1987 को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में विद्यमान थे:

परन्तु 01.01.2005 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी समय—समय पर यथा संशोधित तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित और जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा अंगीकृत साथ ही इस विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन तथा उपदान को उपरोक्त तारीख से विनियमित करने हेतु ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' से शासित होंगे।

परिनियम क्रमांक 18

शैक्षणिक कार्यक्रम, छात्रों के प्रवेश, प्रदर्शन, आचरण तथा अनुशासन और अन्य प्रावधान

1. परिभाषाएं .-

इस परिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) ''शैक्षणिक वर्ष / सत्र'' से अभिप्रेत हैं, दो सेमेस्टरों की अवधि जिसके दौरान विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेण्डर / सेमेस्टर कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक कार्य का एक चक्र पूर्ण होता है ;
- (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) ;

- (ग) ''सेमेस्टर'' से अभिप्रेत है, 105 कार्य दिवस की कालावधि जिसमें से 85 दिवस अध्यापन हेतु रहेंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे ;
- (घ) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;
- (ङ) किसी उपाधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संकाय द्वारा चुने गए तथा बनाए गए तथा सेमेस्टरों में बांटे गए पाठ्यक्रमों की श्रृंखला;
- (च) ''गण्यता'' से अभिप्रेत है, किसी छात्र द्वारा कक्षा, प्रयोगशाला या क्षेत्रकार्य को दिया गया प्रति सप्ताह 90 मिनट का सम्पर्क समय अर्थात् :--
 - (एक) ''एक गण्यता'' प्रति सप्ताह 45 मिनट का एक सैद्धान्तिक या 90 मिनट का एक प्रायोगिक;
 - (दो) ''दो गण्यता'' दो प्रति सप्ताह 45 मिनट के दो सैद्धान्तिक या 90 मिनट के दो प्रायोगिक और इसी प्रकार तीन या चार गण्यता
- (छ) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, किसी पाठ्यक्रम को अभिन्न और विशिष्ट भाग होते हुए एक सेमेस्टर तक विस्तारित तथा किन्ही विशिष्ट विषयों की कक्षाओं और कार्य अनुभव की एक श्रृंखला ;
- (ज) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय;
- (झ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस परिनियम में प्रयुक्त हुए है, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

2. अध्यापन के लिए विश्वविद्यालय का कलैण्डर .-

- (एक) शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष 1 जुलाई को या उसके पश्चात् आरम्भ होगा।
- (दो) प्रत्येक सेमेस्टर लगभंग 105 कार्य दिवस का होगा जिनमें से न्यूनतम 85 दिवस अध्यापन के लिए होंगे। एक सेमेस्टर में निर्धारित कम से कम 80 प्रतिशत कक्षाएं लगना अनिवार्य है।
- (तीन) विश्वविद्यालय, शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने के पूर्व छात्रों के लिए एक सूचना पत्रिका प्रकाशित करेगा, जिसमें निम्नानुसार ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :—
 - (क) शिक्षण सत्र के लिए अध्यापन का कैलेण्डर ;
 - (ख) विभिन्न उपाधियों के लिए प्रवेश की न्यूनतम अपेक्षाएं, विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थान ;
 - (ग) नामांकित छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस की तालिका ;
 - (घ) छात्रवृत्तियां, विश्वविद्यालय साथ ही साथ अन्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता जिससे छात्र अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हों ;
 - (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली विभिन्न उपाधियां, पत्रोपाधियां तथा उनकी अपेक्षाएं ;
 - (च) छात्रों के बने रहने, पृथक् होने एवं पुनः प्रवेश लेने के लिए विनियम ;
 - (छ) प्रत्येक छात्र के लिए उपस्थिति संबंधी अपेक्षाएं ;
 - (ज) छात्रों के लिए छात्रावास तथा अन्य आवासीय स्थान ।

3. विश्वविद्यालय में छात्रों का नये सिरे से प्रवेश .-

- (एक) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा समय—समय पर विहित की गई प्रवेश की न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।
- (दो) विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी में अच्छी नैतिक आदतें हों तथा वह ऐसी व्यक्तिगत तथा शारीरिक पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति करता हो जैसी कि विद्या परिषद् द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाएं।
- (तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नये चयनित अभ्यर्थियों को रिजस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जाएगा और उनके नाम सूचना पटल पर भी ऐसी रीति में प्रदर्शित किए जाएंगे, जैसी कि विद्या परिषद् द्वारा समय—समय पर विहित की जाए।

4. छात्रों का प्रदर्शन और उनका मूल्यांकन .-

- (एक) छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन तथा उनकी उपलब्धियों का निर्धारण विद्या परिषद् द्वारा समय—समय पर बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार मध्याविध तथा अंतिम सैद्धांतिक परीक्षा तथा प्रयोगशाला/फील्ड वर्क के मुल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।
- (दो) न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक अकेले सैद्धांतिक पेपर में तथा पृथक् से व्यावहारिक पेपर में अनिवार्य होंगे तथा सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक परीक्षा को अधिमान दिया जाएगा जो संबंधित संकाय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
- (तीन) छात्र का मूल्यांकन, 10 पॉइंट स्केल पर, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार किया जाएगा जो पाठ्यक्रम/ विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम औसत 5.00 ग्रेड प्वाइंट (जी.पी.ए.) तथा 6.00 क्रमशः स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर होगा।
- (चार) कोई छात्र जो उपाधि कार्यक्रम की समाप्ति पर 10 के स्केल में से रनातक उपाधि के लिए 5.50 या रनातकोत्तर उपाधि के लिए 6.50 या पीएच.डी. उपाधि के लिए औसत 7.00 ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करता है और संकाय द्वारा अधिकथित अन्य अपेक्षाएं पूर्ण करने पर वह संबंधित उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा।

5. शैक्षणिक परिवीक्षा पर पदस्थ करना, बने रहना और त्यागना .-

(एक) नामांकित छात्र को विद्या परिषद् द्वारा अधिकथित विनियमों के अनुसार, शैक्षणिक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। जब कोई छात्र परिवीक्षा पर रखा जाए तो संबंधित महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष इस आशय की सूचना, सभी संबंधितों को, जिसमें छात्र के माता—पिता सम्मिलित हैं, देगा। छात्र के महाविद्यालय की नामावली में बने रहने को, विद्या परिषद् द्वारा समय—समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार, विनियमित किया जाएगा।

(दो) कोई छात्र जो लगातार दो शैक्षणिक सत्रों में अगली उच्चतर कक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रास्थिति प्राप्त करने में असफल रहता है, तीसरे शैक्षणिक सत्र में भी पुनः प्रवेश का हकदार होगा यह और कि यदि वह विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित समय—सीमा के भीतर विभिन्न उपाधियों की न्यूनतम अपेक्षाएं पूर्ण करने में असफल रहता है तो वह विश्वविद्यालय की नामावली से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

6. आचरण और अनुशासन .-

- (एक) विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों से, उनके कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर सदैव आदर्श चरित्र, अच्छा आचरण और अनुशासित व्यवहार बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी।
- (दो) विश्वविद्यालय के छात्र राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे तथा वे अपने आप को ऐसे किसी समुदाय या संघ में शामिल कर संगठन नहीं बनाएंगे जो कि विश्वविद्यालय के हितों और समुचित कार्यकरण के विरुद्ध हो।
- (तीन) महाविद्यालय परिसर के भीतर और बाहर छात्रों के अच्छे व्यवहार एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए संबंधित महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
- (चार) विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को उपाधि कार्यक्रम की आवासीय अपेक्षाओं के दौरान सेवा करने, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, वृत्तिक कार्य करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले छात्र विश्वविद्यालय से हटाए जाने के दायी होंगे।

7. छात्रों को वित्तीय सहायता .-

- (एक) विश्वविद्यालय, प्रतिभावान छात्रों एवं ऐसे पात्र छात्रों को, जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं, वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए प्रशासनिक परिषद् के अनुमोदन से विनियम बनाएगा ;
- (दो) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पात्र छात्रों को उनके अनुरोध पर, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, दानदाताओं / धार्मिक न्यासों से दान प्राप्त कर निधि में वृद्धि करेगा।

8. छात्रों की फीस की तालिका .-

नामांकित छात्र ऐसी सेमेस्टर फीस का भुगतान करेगा जैसी कि प्रशासनिक परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों में विहित की जाए। एक बार भुगतान की गई फीस वापिस नहीं की जाएगी, तथापि यदि विश्वविद्यालय की ओर से कोई चूक हुई है, तो वह समायोजित या वापिस की जा सकेगी।

परिनियम क्रमांक 19 उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाण पत्र का प्रदान किया जाना तथा अपेक्षाएं

1. स्नातक उपाधि की अपेक्षाएं .-

(एक) कोई नामांकित छात्र, जिसने न्यूनतम आवासीय अपेक्षाएं तथा संबंधित संकाय द्वारा अधिकथित किया गया विहित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है स्नातक उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उपाधि कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :--

| (क) विज्ञान स्नातक (कृषि) | बी.एस.सी. (कृषि)—4 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम |
|--|--|
| (ख) विज्ञान स्नातक (उद्यानिकी) | बी.एस.सी. (उद्यानिकी)–4 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम |
| (ग) विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा कृषि क्षेत्र त | था संबंधित क्षेत्र में यथा अनुमोदित कोई अन्य स्नातक उपाधि। |

- (दो) स्नातक उपाधि के नामांकित छात्र से संबंधित संकाय द्वारा विहित तथा विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों (पाठ्यचर्याओं) की एक श्रृंखला का अध्ययन करना अपेक्षित होगा ताकि छात्रों को आधारभूत तथा उपयोज्य ज्ञान अर्जित करने के अवसर प्राप्त हों जो कि उसे संबंधित विषय और ग्रामीण जीवन के तथ्यों को युक्तियुक्त रूप से भलीभंति निपटाने में सक्षम बनाए। पाठ्यचर्या में निम्न पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।
 - (क) आधारभूत विज्ञान तथा मानविकी;
 - (ख) संकाय उससे संबंधित क्षेत्रों के आधारभूत विशिष्ट विषय; और
 - (ग) विशेष व्यावसायिक और / या वृत्तिक विषय
- (तीन) रनातक उपाधि प्राप्त करने की दृष्टि से छात्र को किसी उपाधि विशेष के लिए विहित मानकों के अनुसार और विनियमों द्वारा विहित विश्वविद्यालय के कोर्स क्रेडिट पूर्ण करना होंगे और उसे स्केल 10 में से औसतन कम से कम 5.50 समग्र ग्रेड पाइन्ट पूर्ण रूप से अर्जित करना होंगे ।

स्नातकोत्तर डिग्री का प्रदान किया जाना और उसकी अपेक्षाएं .—

(एक) कोई नामांकित छात्र जिसने न्यूनतम आवासीय अपेक्षाएं तथा संबंधित संकाय द्वारा अधिकथित किया गया विहित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है निम्नानुसार स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा :

| (ক) | मास्टर आफ साइंस (कृषि) | एम.एस.सी. (कृ षि) | 2 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|
| (ख) | मास्टर आफ साइंस (उद्यानिकी) | एम.एस.सी. (उद्यानिकी) | 2 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम |
| (ग) | डाक्टर आफ फिलासफी (कृषि) | पीएच.डी. (कृषि) | 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम |
| (घ) | डाक्टर आफ फिलासफी (उद्यानिकी) | पीएच.डी. (उद्यानिकी) | 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम |
| (ঙ) | विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा यथा अ रनातकोत्तर/पीएच.डी. उपाधि। | नुमोदित कृषि तथ | ा संबंधित क्षेत्र में कोई अन्य |

- (दो) स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री) प्राप्त करने के लिए नामांकित किसी छात्र से संबंधित संकाय द्वारा विहित पाठ्यक्रमों के अध्ययन की श्रृंखला पूर्ण करना अपेक्षित होगा तथा उसे उपाधि प्राप्त करने के लिए स्केल 10 में से मास्टर लेवल पर 6.50 समग्र ग्रेड प्वाइंट औसत (ओ.जी.पी.ए.) और पी.एच.डी. लेवल पर 10.00 अर्जित करना होंगे।
- (तीन) स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) छात्रों से अनुसंधान प्राब्लम/प्रोजेक्ट के आधार पर संकाय निदेशक शिक्षण द्वारा अनुमोदित और सलाहकार समिति द्वारा आबंटित थीसिस अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा दोनों प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

3. मानद उपाधि .-

विद्या परिषद् और बोर्ड की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में श्रेष्ठ वैज्ञानिक या विख्यात व्यक्ति को मानद उपाधि प्रदान की जा सकेंगी और विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में वह आवश्यक समझे तो ऐसी सिफारिशें कुलाधिपति को की जाएंगी।

4 पत्रोपाधि और प्रमाण पत्र —

विश्वविद्यालय, विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, नामांकित छात्रों को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित गैर—उपाधि कार्य पूर्ण कर लिया है, विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त पत्रोपाधि या प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा।

5. दीक्षांत समारोह आयोजित करना .-

इस प्रयोजन के लिए बनाए जाने वाले अतिरिक्त परिनियम के अनुसार, उपाधि 'प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह वर्ष में एक बार या विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाएगा।

6. उपाधि, पत्रोपाधि आदि का वापस लिया जाना .-

यदि विश्वविद्यालय के हित/हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो, किसी व्यक्ति को प्रदत्त उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र या विद्या संबंधी अन्य सम्मान विद्या परिषद् और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा वापस लिए जा सकेंगे, तथापि मानद उपाधि वापस लिए जाने के लिए कुलाधिपति की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

परिनियम कमांक 20 कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा तथा छात्रों के लिए छात्रावास तथा अन्य सुविधाएं

कर्मचारियों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाएं .—

(एक) विश्वविद्यालय, कर्मचारियों के उपयोग के लिए उतनी संख्या में, जितनी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के उचित कार्यकरण के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए, गृह प्राप्त कर सकेगा, उनका निर्माण कर सकेगा, उन्हें पट्टे पर ले सकेगा। प्रशासनिक परिषद् कर्मचारिवृन्द के आवास संबंधी विषयों के लिए आवश्यक विनियम बनाएगी।

(दो) प्रशासनिक परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, बोर्ड, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और उनका परिचालन करेगा। ऐसी सभी सुविधाओं का प्रशासन, बनाए गये विनियमों के अनुसार, प्रशासनिक परिषद् द्वारा किया जाएगा।

2. छात्रों के लिए केफेटेरिया और निवाससुविधा की अन्य शर्तें .-

- (क) विश्वविद्यालय का कोई नामांकित छात्र -
 - (एक) अपने स्वयं के घर में, या माता पिता के घर में या ऐसे स्थान पर जहाँ महाविद्यालय स्थित है, रहेगा:
 - (दो) विश्वविद्यालय के छात्रावास में या छात्रों के लिए अनुमोदित वास स्थान में रहेगा।
- (ख) इस विषय पर विद्या परिषद् द्वारा विनियम बनाए जाएंगे।
- (ग) विश्वविद्यालय, अपने नामांकित छात्रों के लिए ऐसी केफेटेरिया, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खरीदारी तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा उन्हें संचालित करेगा जैसी कि बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझी जाएं। प्रशासनिक परिषद्, विद्या परिषद् के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए, विनियम बनाएगी। विनियम, विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासित किए जाएंगे, जो कि कुलपति के अनुमोदन से उसके द्वारा पदाभिहित किए जाएं।

छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावास .—

- (एक) विश्वविद्यालय, अपने छात्रों के लिए उतने छात्रावासों की व्यवस्था करेगा तथा उनका संचालन करेगा जितने कि विश्वविद्यालय के छात्रों के सर्वोत्तम हित में, प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं तथा वह विश्वविद्यालय के नामांकित छात्रों के लिए अन्य आवास सुविधाओं की भी व्यवस्था कर सकेगा ;
- (दो) कोई भी नामांकित छात्र जो छात्रावास में या विश्वविद्यालय की अन्य ऐसी ही सुविधा में रहता है, सेमेस्टर प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय को ऐसी छात्रावास फीस का भुगतान करेगा जैसी कि प्रशासनिक परिषद द्वारा अवधारित की जाए ;
- (तीन) बोर्ड, निर्धन छात्र को छात्रावास फीस के भुगतान से ऐसी छूट दे सकेगा जैसी कि वह उचित समझे:
- (चार) विद्या परिषद्, छात्रावासों तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों के लिए विनियम बना सकेंगी और ऐसे विनियम विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष द्वारा प्रशासित किए जाएंगे। इस प्रकार बनाए गए विनियमों में, उन छात्रावासों के जिनमें नामांकित छात्र रहते हों, प्रबंधन में, उनकी अधिकतम सहभागिता का ऐसा उपबंध होगा जो कि किसी विश्वविद्यालय की सुविधा के अच्छे प्रबंधन के अनुरूप हों;
- (पाँच) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए छात्रावास फीस में भोजन प्रभार सम्मिलित होंगे।

परिनियम कमांक 21 पूर्व छात्र संगम

विश्वविद्यालय से संबंधित पूर्व छात्र संगम .-

- (क) शासकीय प्राधिकारी के रूप में न हो कर, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संगम के नाम से ज्ञात एक संगठन होगा। इस संगम की पूर्ण सदस्यता के लिए केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की हो तथा जो उसे धारण किए हुए हों। विश्वविद्यालय के उपाधि धारक कुलपित के मार्गदर्शन में बोर्ड अनुमोदित संवैधानिक संगठनात्मक उपविधियों के अनुसार, ऐसा संगम स्थापित कर सकेंगे।
- (ख) किसी प्रख्यात व्यक्ति को पूर्व छात्र संगम के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 39 read with Section 38 of Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009), the State Government, hereby, makes the following first Statutes for the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) These Statutes (Statutes No 1 to 21) may be called the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya first Statutes, 2012
- (2) These Statutes shall come into force with effect from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions: -

In these Statutes, unless the context otherwise requires: –

- (a) 'Act ' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009);
- (b) 'Academic Year / Session' means a two semester duration during which a cycle of education work is completed as per the academic calendar / semester schedule as notified by the Vishwavidyalaya;
- (c) 'Board' means the Board of Vishwavidyalaya as constituted under section 27 of the Act;
- (d) 'Committee' means the committee constituted under the Statutes for the administration of the Fund;
- (e) 'Continuous Service' means uninterrupted service as defined in the rules of the Government of Madhya Pradesh;

- (f) 'Course' means a series of classes and work experiences of the specific subjects, extended over a semester and being as integral and specific part of a semester and being as integral specific part of a curriculum;
- (g) 'Credit' means contact time per week devoted by a student to class, laboratory or field work, that is to say:-
 - (i) 'One Credit', one theory of 45 minutes or one practical of 90 minutes per week;
 - (ii) 'Two credit ', two theories of 45 minutes or two practical of 90 minutes per week and similar for 3 or 4 credits;
- (h) 'Curriculum' means a series of courses distributed in semesters, selected and designed by the respective faculty to provide training to meet the requirement of a degree;
- (i) 'Dependent' means any of the relation of deceased subscriber viz. a wife, husband, son, daughter, parents, minor brothers and unmarried sisters, and no parent of the subscriber is alive, paternal grand parent.
- (j) 'Employee' means a person in the whole time service of the Vishwavidyalaya appointed as per provisions of Statutes to a permanent or temporary post but does not include a person on deputation or engaged on daily wages or work charged establishment or on contract basis;
- (k) 'Family' means a family as defined in the rules of Government of Madhya Pradesh;
- (I) 'Fund' means of the Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya contributory provident fund;
- (m) 'Pension and Gratuity and Commutation of Pension' means an amount payable to the University employees after his retirement shall be such as the State Government employees are entitled under the Madhya Pradesh Civil Service (Pension) Rules, 1976 and Madhya Pradesh Civil Service (Commutation of Pension) Rules, 1996 respectively;
- (n) 'Salary' in relation to an employee means, monthly salary and includes all fixed allowances payable to the employee;
- (o) 'Section' means the section of the Act;
- (p) 'Semester' means a period of 105 working days. Out of which 85 days shall be devoted for teaching. There shall be two semesters in an academic year;
- (q) 'State Government' means Government of Madhya Pradesh.

- (r) 'Statute' means the Statute made under the provisions of sections 38 and 39 of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009);
- (s) 'Subscriber' means a employee on whose behalf amount of subscription is deposited under the Statutes;
- (t) 'Vishwavidyalaya' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya;
- (u) 'Year' means the financial year as defined in Treasury Code and Financial Code of the Government of Madhya Pradesh;
- (v) Words and expressions used but not defined in this Statute shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

Emoluments and other Terms and Conditions of Service of

the Vice- Chancellor

- 1. Salary, Allowances, Residence, Provident fund, travelling Allowance and leave of Vice-Chancellor:-
 - (a) The Vice- Chancellor shall receive such salary and allowances per month plus other allowances may be fixed from time to time by the University Grant Commission and approved by the state Government. If he assumes his charge after attaining the age of superannuation and is receiving pension due to his past services, then his pay and allowances shall be reduced by the gross amount of his pension fixed prior to the commutation.
 - (b) During his tenure of office the Vice- Chancellor shall be entitled to have a rent free furnished residential accommodation maintained by the University.
 - (c) The Vice-Chancellor shall be entitled to use a University vehicle for official purposes on such conditions as applicable to the head of the department of State Government.
 - (d) The Vice- Chancellor shall be eligible to opt for the General Provident Fund, Pension and Gratuity scheme of the University if he has not attained the normal age of superannuation prior to commencement of his tenure and he has been eligible for pension scheme as an employee of a Central/State Government or a Central / State autonomous body or Central / State University before joining as Vice- Chancellor, if he opts to join General Provident Fund Pension and Gratuity Scheme of the university, the Vice-Chancellor shall be entitled to the benefit of combining his past

service with service as Vice- Chancellor upto the normal age of superannuation for the purpose of pension. For this purpose the university shall receive pension/contributory provident fund liability from the previous organizations. The period of service rendered by him in the university beyond the normal age of superannuation shall not be counted for the purpose of pensionery benefits. The pension- cum- gratuity benefits shall be payable only from the date of his relinquishing the post of the Vice- Chancellor. If the Vice-Chancellor assumes his office either after superannuation or superannuates during the tenure he shall be entitled to join in Contributory Provident Fund Scheme from the date of his joining the post.

2 (a) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay @30 days in a calendar year. The leave shall be credited to his account in advance in two half yearly installments of 15 days each on the first day of January and first day of July every year.

Provided that if the Vice-Chancellor assumes / relinquishes charge of the office of Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and a half days for each completed month of service.

- (b) The leave at the credit of the Vice-Chancellor at the close of the previous half year be carried forward to the new half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for that half year does not exceed maximum limit of 240 days.
- (c) The Vice-Chancellor on relinquishing the charge of his office shall be entitled to receive a sum equivalent to the leave salary admissible for the number of days of leave on full pay due to him at the time of his relinquish of charge subject to a maximum of 240 days including encashment benefit availed of elsewhere.
- (d) The Vice-Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of 20 days for each completed year of service. This half pay leave may only be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate, when commuted leave availed twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due.
- (e) The Vice-Chancellor also be entitled to avail himself, extra ordinary leave without pay for a maximum period of three months during full term of five years on medical ground or otherwise.
- The Vice Chancellor shall be entitled to all other benefits such as medical allowances and leave travel concession as admissible to other University employees.
- (4) The Vice Chancellor shall be entitled to Travelling Allowance on Transfer or his appointment as Vice-Chancellor and after relinquishment of his charge:

Provided that the provision for deduction of pension from the pay of Vice-Chancellor shall not apply to incumbent Vice-Chancellor, unless a specific provision to this effect already exists in the Statutes/Ordinances of the concerned University.

Powers of the Vice - Chancellor

1. Powers of the Vice - Chancellor :-

In addition to the powers conferred under Section 17 of the Act, the Vice-Chancellor shall also have the following powers, namely:-

- (1) To sanction recurring or non-recurring expenditure within the approved budget of the Vishwavidyalaya, provided, he may re-appropriate amounts within the various units of appropriation;
- (2) To countersign his own T.A. Bills subject to the provisions of T.A. rules of the State Government;
- (3) To open account on behalf of the Vishwavidyalaya in the Scheduled Bank in accordance with the provision of sub section (3) of section 36 of the Act and to authorized any Drawing and Disbursing officer of the Vishwavidyalaya to operate such bank account;
- (4) To countersign T.A. Bills and sanction the absence on duty beyond jurisdiction of officers of the Vishwavidyalaya;
- (5) To grant leave as per delegation of powers;
- (6) To constitute such committees as be deems necessary to help him in the discharge of his duties entrusted to him by or under the Act;
- (7) To sanction an allowance to an employee of the Vishwavidyalaya for any special duties assigned to such employees or addition duties performed by him which in the opinion of the Vice-Chancellor warrants such payments;

Provided that such allowance shall not exceed 6 per cent of the basic salary of such employee.

Provided further that any action taken under this sub - clause shall be reported to the Board at its meeting immediately following such actions;

(8) To exercise such other powers as may conferred upon him by the Act, Statutes or Regulation as the case may.

Conditions of Service of Officers and other Employees

1. Conditions of service of officers and other employees-

- (1) Subject to provisions of the Act and Statutes hereinafter made, the conditions of the service of the officers other than the Vice-Chancellor of Vishwavidyalaya shall be such as prescribed by the Board for the officers of the Vishwavidyalaya.
- (2) The Board ,may, if so recommended by the Selection Committee and for reasons to be recorded in writing for acceptance of such recommendation, sanction a higher initial pay then the prescribed pay by the Statutes, but such enhanced amount shall not exceed the amount of five advance increments to any candidate for appointment on the posts of officers.
- (3) All officers mentioned in section 12 of the Act shall be whole time salaried officers of the Vishwavidyalaya and shall be entitled to leave, leave salary, allowances and other benefits as prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees:

Provided that if a candidate is appointed outside the services of the Vishwavidyalaya for the post of Directors and Deans of Colleges, his appointment shall be for such term and subject to such conditions as may be determined by the Board. Such a candidate unless selected for another suitable post during the prescribed term will have no claim on any other such post in the Vishwavidyalaya after the expiry of the specified term. The appointments on the post of Directors and Deans of faculties shall be for a terms of **three** years or till the date of his superannuation whichever is earlier. The Vice-Chancellor shall have power to suitably curtail / reduce such term depending upon the exigencies and the convenience of the administration after seeking approval from the Board.

- (4) Every employee shall retire from the service of the Vishwavidyalaya in the afternoon of the last day of month in which he attains the age of superannuation, as prescribed below-
 - (a) "Officers" as specified under section 12 of the Act (except the Vice Chancellor) shall retire on attaining the age of 65 (sixty five)years:

Provided that the person appointed as Officers by promotion or otherwise but have been engaged in teaching for not less than 20 years and holds a lien on a post in the Vishwavidyalaya shall retire on attaining the age of 65 (sixty five) years.

- (b) The "Teachers" as defined under section 2(k) of the Act, shall retire on attaining the age of 65 (sixty five) years.
- (c) "Non teaching Service Personnel" of Class- I, II and III categories shall retire on the attaining the age of 60 (sixty) years.
- (d) "Class IV employees" shall retire on the attaining the age of 62 (sixty two) years.

Provided that on attaining the age of superannuation, any employee whose date of birth is first day of the month, shall retire from the service in the afternoon of the last day of the preceding month.

Provided further that all Vishwavidyalaya employees may, in the public interest or in the Vishwavidyalaya interest be retire at any time after they attain the age of 50 years or 20 years of qualifying service, on three months notice without assigning any reason or on payment three months pay and allowances in lieu of such a notice.

(5) In the cases of such persons who have been re-employees in the Vishwavidyalaya service after retirement from Government Service, shall be governed by the terms and conditions of their re-employment in the Vishwavidyalaya service.

Provided that such re-employed persons shall not continue in the Vishwavidyalaya Service beyond the age of retirement relevant to such cases, except with the approval of the Board and such a condition shall be mentioned in appointment order of each of such re-employed person and in the contract to be entered into between them and the Vishwavidyalaya.

STATUTE NO. 4

Emoluments, Powers and Duties of Registrar and Comptroller

1. Emoluments, powers and duties of Registrar:-

- (1) The Registrar shall receive the salary in the revised scale of pay as approved by the Government of Madhya Pradesh from time to time. In a special case, where the circumstances so justify and / or when the person is already in employment or retired, he shall receive such other higher pay and allowances as may be determined in the consultation with the State Government or Parent Department/Institution / Body.
- (2) It shall be the duty of the Registrar:
 - (a) To be responsible for the preparation of the annual report under section 41 of the Act;
 - (b) To be custodian of the records, common seal and such other property of the Vishwavidyalaya as the Board shall commit to his charge;
 - (c) To issue all notices convening meetings of the Board, Academic Council and of any Committees or Bodies appointed under the Act of the Vishwavidyalaya of which he is to act a Secretary;
 - (d) To keep the minutes of all meetings of the Board, the Academic Council and of any Committees or Bodies appointed under the Act of Vishwavidyalaya of which he is to act as Secretary;

- (e) To conduct the official correspondence of the Board and the Academic Council, except matter pertaining to finances of the Vishwavidyalaya and matters incidental there to falling within the ambit of Comptroller's duties.
- (f) To administer Statutes of the Vishwavidyalaya with respect admission of students and their continence as such;
- (g) To prepare time schedule for academic courses as recommend by the faculties and plan and direct the admission of students for various courses and keep record of transfers and dropouts students as recommended by the faculties;
- (h) To maintain records of each student of the Vishwavidyalaya including açademic accomplishment, conduct as a student and all other matters which bear on the accomplishments and conduct of the student;
- (i) To maintain records of the Graduates of the Vishwavidyalaya;
- (j) To discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor to which he is responsible.

2. Emoluments, powers and duties of Comptroller:-

- (a) The Comptroller shall receive a salary in the revised scale of pay as approved by the Government of the Madhya Pradesh from time to time hereinafter. In a special case, where the circumstances justify, he shall receive such other higher pay and allowances as may be determined in consultation with the Government of Madhya Pradesh;
- (b) In addition to the powers conferred on him under clause (a), (b) and (c) of sub section (3) of section 19 of Act, the Comptroller shall also exercise the following powers, namely:-
 - (i) He shall be responsible for the preparation of the financial estimates and for its presentation to the Board;
 - (ii) he shall receive income and fees, disburse payment and be responsible for the dayto-day financial transaction of the Vishwavidyalaya and for the proper accounting thereof and do all incidental matters including correspondence relating thereto;
 - (iii) he shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and Regulations or as may be require from time to time by the Board or the Vice-Chancellor, with respect to the matters pertaining to accounts and finance of the Vishwayidyalaya for which he shall be directly responsible to the Vice-Chancellor;
 - (iv) he shall attended the board meeting as and when required to do so for the purpose of fulfilling his responsibilities and duties envisaged under sub-section (3) of Section 19 of the Act;
 - (v) he shall discharge such other function as may be assign to him from time to time by the Vice-Chancellor.
- (c) The receipt issued by the Comptroller or the person or persons duly authorized in writing in this behalf by the Board in respect of any money payable to the Vishwavidyalaya shall be deemed to be issued for such receipt.

Composition of Selection Committee, Procedure of

Selection and other Conditions of Appointment

1. Officers and other staff:-

- (1) The officers of the Vishwavidyalaya shall be those as specified in clause (a) to (i) of section 12 of the Act.
- (2) In addition to the officers specified in section 12 of the Act, the librarian of the Vishwavidyalaya shall also be the officer of the Vishwavidyalaya.

2. Qualification for posts of officers:-

Qualifications for the appointment to the post of officers of the Vishwavidyalaya (other than those of Chancellor and Vice-Chancellor) as specified under Section 12 of the Act shall be laid down by the Board after giving due considerations to the recommendations made by the Academic Council. The recommendation shall be broadly based on the guidelines provided by Indian Council of Agricultural Research pattern from time to time; in the case of teachers / officers posts carrying University Grants Commission scale of pay and in the case of remaining officers posts, carrying scale of pay sanctioned by the Government of Madhya Pradesh for which a qualification shall be laid down by the Administrative Council:

Provided that the qualification prescribed shall be given due publicity in such manner as may be prescribed by the Vishwavidyalaya from time to time and selection process shall start only after obtaining administrative approval from the Government of Madhya Pradesh for filling up the vacant posts.

3. Composition of Selection Committee for appointment of officers, teachers and service personnel:-

- (1) The Registrar shall start process and take suitable steps to get a Selection Committee constituted by the Vice-Chancellor for filling up anticipating vacancy or to fill up the vacant post of the set-up of Vishwavidyalaya.
- (2) There shall be the following Selection Committees shown in column (2) for the posts shown in column (1):

| | Designation of Post (1) | | Composition of the Selection Committee (2) |
|----------------|---|------|--|
| (A) (i) | Director of Research Services. | (1) | Vice-Chancellor (or his nominee from amongst the members of the Board of Management of Vishwavidyalaya) - Chairman. |
| (ii) | Director of Extension Services. | (2) | One member to be nominated by the Chancellor from amongst the persons not connected with the Vishwavidyalaya. |
| (iii) | Director of Instructions and Students Welfare | (3) | One member to be nominated by the Board from amongst its members. |
| (iv) | Dean of Faculties | (4) | One member to be nominated by the Farmer Welfare and Agriculture Development Department of the Government of Madhya Pradesh. |
| (v) | Dean of Colleges | (5) | One expert member representing the Union Ministry of Agriculture to be nominated by the Department of Agricultural Research and Education, New Delhi. |
| (vi) | Registrar | (6) | The post of Registrar shall be filled up from the Additional Director or officer of equivalent rank on deputation from the Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Government of Madhya Pradesh. |
| (vii) | University Librarian | (7) | Two expert members from outside the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor. |
| (viii) | Comptroller | (8) | The post of Comptroller shall be filled up from the Additional Director or the officer of equivalent rank on deputation from Finance Department, Government of Madhya Pradesh. |
| (ix) | Professors/Associate Professors and all equivalent posts in research, Extension and Krishi Vigyan | (9) | The Head of the Department Concerned. |
| | Kendra's | (10) | Registrar shall be the Member - Secretary. |

Note:-

- 1. The member against serial No. (4) above shall participate only for posts other than those sanctioned by the Indian Council of Agriculture Research.
- 2. The member against serial No (5) above shall participate only for posts sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research.

- 3. The members against serial No. 8 and 9 shall participate in the selection of posts mentioned against category (ix) above, as the case may be, depending on the nature of the post.
- (B) (i) Assistant Professor and all equivalent posts in teaching, research and extension including Krishi Vigyan Kendras
- Vice-Chancellor (or his nominee from amongst the members of the Board of Management of Vishwavidyalaya -(Chairman)
- (ii) Assistant Librarian/Sportsofficer/Programme Assistant/ TechnicalAssistant
- (2) Dean of Faculty concerned.
- (3) One of the Directors to be nominated by the Vice-Chancellor Member.
- (4) Head of the Department concerned-Member.
- (5) Two expert members from outside the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor- Member.
- (6) Vishwavidyalaya Librarian-Member
- (7) Registrar shall be the Member Secretary.

Note:- Vishwavidyalaya Librarian shall participate only for the post of Assistant Librarian.

(C) (i) Deputy Registrar/ Deputy

Comptroller

 Vice-Chancellor (or his nominee from amongst the members of the Board of Management of Vishwavidyalaya)-Chairman.

(ii) Executive Engineer

- (2) Comptroller (Only for Finance posts)
- (iii) Asstt. Registrar/ Asstt. Comptroller
- (3) Two members to be nominated by the Vice-Chancellor according to the nature of the post to be filled up.

(iv) Asstt. Engineer

(4) One member not connected with the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.

(v) Medical officer

- (5) Registrar shall be the Member Secretary.
- (vi) Section officer/Personal Secretary and any other similar posts not covered by the above

- (D) Ministerial posts below the rank of Section Officers in the various offices of the Vishwavidyalaya.
- 1. Registrar Chairman
- 2. Comptroller
- 3. Two members to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the Faculty/Directorate/Department.
- 4. Deputy Registrar shall be the Member-Secretary.

Note: The above committees will deal with the appointments on posts at the point of entry into service and also with promotion to higher posts under clause (C) and (D).

- (E) Ministerial/Non ministerial field staff posts located at the point of entry into service like Assistant Grade III, Field Extension Officer, Laboratory Technician, Computer
- 1. Any director- Chairman
- 2. Comptroller
- 3. Two senior members nominated by the Dean of Faculty/Director concerned from the unit/ Department where from the post is to be filled up.
- Operator, Steno Typist, Lab. Attendants and Library Attendant etc. in the Colleges, Research Stations and Krishi Vigyan Kendra's etc.
- 4. One member to be nominated by the Vice-Chancellor from any Faculty/Directorate/Department.
- F) Technical posts (Non-Ministerial) in various offices of the Vishwavidyalaya like Driver, Photographer, Machine operator, Helper, Cleaner, Binder, Carpenter etc.
- 5. Deputy Registrar shall be the Member secretary.
 - 1. Any Director Chairman
 - 2. Registrar
 - 3. Comptroller
 - 4. One Deputy Registrar to be nominated by the Vice-Chancellor.
 - One member to be nominated by the Vice-Chancellor from offices from where the posts is to be filled.
 - 6. Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the Faculty/Directorate/Department.
 - 7. Deputy Registrar shall be the Member-Secretary.

- Note:- (a) This committee will deal with the appointments on posts at the point of entry into service and also with promotion to higher posts. However, in case of promotion to technical posts.

 Chairman of the promotion committee shall be the respective Directors/ Dean of faculty concerned of Officer from where the post is to be filled.
 - (b) The quorum for every Selection Committee shall be half of the total number of members plus one.
 - (c) Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes nominee would participate in the Selection Committees under this statute as per guidelines of Government of Madhya Pradesh.
 - (d) The Vishwavidyalaya may conduct eligibility tests for all post at the point of entry in to service for Ministerial, Non -ministerial and Technical posts fall within class III and Class IV cadres as per procedure laid down from time to time.

4. Procedure of Selection

- (1) All posts of Officers of the Vishwavidyalaya as specified under Section 12 of the Act (except those of Chancellor, Vice-Chancellor and Deans of Faculty) and Librarian and the Teachers as defined under section 2 (k) of the Act and the posts of equivalent cadres shall be filled up by selection based strictly on merit and All India advertisement:
- **Registrar** As per the provision of Section 20, the Registrar shall be appointed by the State Government from the Additional Directors of Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development Department.
- Comptroller- The Board may also consider to fill up the post of Comptroller on deputation in the interest of Vishwavidyalaya by obtaining services of Additional Director with appropriate experience and merit from the Finance Department of Government of Madhya Pradesh.
 - Professor, Assistant Professor, or an equivalent post, University Librarian, Assistant Librarian, Sports Officer shall be such as may be prescribed by the Vishwavidyalaya from time to time. Further, only those candidates, who besides fulfilling the minimum qualifications and have qualified in National Eligibility Test (NET) conducted by the Indian Council of Agricultural Research or University Grant Commission *IDSIR* will be eligible for selection and appointment to the post of Assistant Professor and equivalent. NET qualification shall not be compulsory for those holding Ph.D. degree. However, other things being equal, candidates having Ph.D. and passed NET examination conducted by Indian Council of Agricultural Research or University Grant Commission /CSIR shall be given preference in recruitment. In case, the candidates in the subjects where NET is not conducted by Indian Council of Agricultural Research or University Grant Commission *ICSIR*, the vacancies will be filled up by following Vishwavidyalaya recruitment procedure:

Provided that for posts falling within the faculty of Veterinary Science and Animal husbandry, the norms laid down, if any, by the Veterinary Council of India shall also be applicable for appointments to the post of Assistant Professor and equivalent thereto.

- (3) The employees of the Vishwavidyalaya possessing the requisite qualifications and other conditions (if any), shall be eligible to apply and their applications shall be considered along with other candidates.
- (4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of the Act and this statute, the teachers in the cadre of Assistant Professor and Associate Professor may be promoted to the post of Associate Professor and Professor respectively under Merit Promotion Scheme with the norms laid down by the Indian Council of Agricultural Research and Government of Madhya Pradesh from time to time:

Provided that, the teachers who opted for promotion/appointment under Merit Promotion Scheme while serving at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur shall continue to be governed in the same scheme till 27-07-1998 and shall be entitled to scale of pay prescribed therein under the Merit Promotion Scheme.

- (5) The teachers of the Vishwavidyalaya, if opted, shall also be entitled to receive the benefit of Career Advancement Scheme as envisaged in the Government of Madhya Pradesh, Agriculture Department Order No. B-4-39/87/14-2, dated 9th March, 1989 and as modified or amended by University Grand Commission/ Indian Council of Agricultural Research /Government of Madhya Pradesh and Vishwavidyalaya from time to time.
- (6) The Career Advancement Scheme shall also be applicable to University Librarian, Assistant Librarian and Sports Officers and all posts equivalent thereto,
 - (7) For considering the cases for selection under Career Advancement Scheme, the Selection Committee shall be constituted and screening/ selection shall be made as per provisions contained in the Government of Madhya Pradesh, Agriculture Department order No. -B-4-39/87/14-2, dated 9th March, 1989 and as modified or amended from time to time.
- (8) The Recruitment to the post non-teaching service-personnel defined as Class-I, Class-II, and Class-III specified in Regulation of the Vishwavidyalaya Services (General conditions of Service) (except those at the point of entry into service), shall be filled-up by promotion to the extent of 80 per cent on seniority-cum-merit basis from amongst the employees of the Vishwavidyalaya and the remaining 20 per cent posts shall be filled-up by advertisement and selection based strictly on merit by conducting departmental examination from amongst the eligible staff of the Vishwavidyalaya who possesses the requisite qualification for the posts:

Provided that, recruitment to posts of non teaching service personnel shall be made through advertisement and open competition as per procedure laid down by the Vishwavidyalaya Board from time to time.

Provided further that for class-II and other higher posts in the works Section of the Vishwavidyalaya, 80% quota shall be fixed for promotion from amongst the employees of the Vishwavidyalaya and 20% quota shall be for direct recruitment through advertisement. In case the nature of vacancy is as such that the Vishwavidyalaya may not be able to recruit the desired type of person either from the promotion quota or by direct recruitment through advertisement, the Vice-Chancellor may obtain the services of a suitable person on deputation from the Government of Madhya Pradesh.

- (9) The non-teaching service personnel shall be entitled for benefit of Kramonnati Yojana as per provisions contained in Government of Madhya Pradesh memo No. GAD F-11/1/OS-vk-iz-/99 dated 17.3.1999/19.4.1999 and also get Time –Scale of Pay as laid down by Government of Madhya Pradesh from time to time.
- (10) In case of direct recruitment through advertisement, the applications received in response to the advertisement shall first be scrutinized by a Committee to be appointed by the Vice-Chancellor, which shall recommend, to the Vice-Chancellor, the names of those applicants who fulfill the prescribed qualifications for being considered for the post. The applicants so recommended by the aforesaid Committee and approved by Vice-Chancellor shall be called for an interview by the selection committee. In the case of Selection for the teaching posts of Professors, Associate Professors, and equivalent posts, the Selection Committee may at its discretion, also consider in absentia the candidature of such applicants who are abroad on the date of interview.
- (11) The Selection Committee shall recommend a panel of not more than three names arranged in order of merit, for each vacancy to the Vice-Chancellor.
- (12) In case of direct recruitment, there shall be reservation of vacancies in posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens as well as for women as per provisions of (i) The Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and (ii) The Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997 and amendment made therein from time to time.
- (13) There shall also be 6 per cent reservations in the posts of Class-II, Class-III and Class-IV category for blind, deaf, and other physically handicapped persons for vacancies to be filled through direct recruitment as per Madhya Pradesh General Administration Department Memo no. F. -8-2/96/vk.iz. dated 30.05.1997 and thereafter instructions issued from time to time to regulate reservations for above categories.
- (14) In case of recruitment by promotion from amongst the employees of the Vishwavidyalaya, the Vishwavidyalaya shall determine in each cadre to which appointment is to be made by promotion, the post from which such promotion shall be made, which shall be called feeder cadre. The Selection committee shall consider the names of only those employees, who have completed required minimum length of service in the feeder cadre. The promotion shall be

made as per rules contained in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rule, 2002 and as amended from time to time.

5. Procedure for appointment:-

- (1) The panel of recommended persons, in order of merit prepared in accordance with this Statute for all officers and teaching posts up to the rank of Associate professor and equivalent posts shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board with his own recorded recommendations for consideration.
- (2) The Board may accept and approve the recommendations or return the recommendations refusing to accord approval, giving reasons in writing there-of, in which case the Vice-Chancellor shall, in due course, submit another panel of recommended persons in order of merit to the Board.
- (3) Subject to the fulfillment of minimum qualification as per provisions of clause 4 of this statute, the Vice-Chancellor shall make an ad-hoc appointment in any emergency on any teaching post for a period of not more than six months. Such an ad-hoc appointment extending beyond a period of six months will require the approval of the Board.

STATUTE NO.6

Appointment, Emoluments, Powers and Duties of Director of Research Services, Director of Extension Services and Director of Instructions and Students' Welfare

1. Emoluments, Powers and Duties of the Director of Research Services:-

- (1) The Director of Research Services including Professors and Head of the Department shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/-+ AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.
- (2) The Director of Research Services shall be appointed for a term of three years or such term as the Board may approve.
- (3) The post of Director Research Services shall be interchangeable with that of any other Directors and also with that of any of the Deans of colleges provided the requirement of minimum qualification is fulfilled.
- (4) It shall be the following duties of the Director of Research Services.-
 - (a) to exercise overall control of the planning and prosecution of research conducted by the Vishwavidyalaya, excepting research done by students to meet degree requirement and by teachers of the Vishwavidyalaya to improve teaching ability;
 - (b) to prepare Research Service Programmes and annual Budget Estimates, as may be required by the Vishwavidyalaya;

- (c) to assist the Dean of Faculty concerned in the supervision over the members of the college staff engaged on approved research programmes under the general purview of the research service.
- (d) to require and supervise the compilation of research results, and the proper publication of the research findings;
- (e) to approve for publication, in consultation with Deans of Faculties concerned, research manuscripts in such general form and in such number as may be determined;
- (f) to assign numbers to all publications and to maintain official record of all publications;
- (g) to be responsible to the Vice-Chancellor in exercise of the powers and discharge of the duties under the Act:
- (h) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

2. Emoluments, Powers and Duties of the Director of Extension services .-

- (1) The Director of Extension Services including Professors and Head of the Department shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/-+AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.
- (2) The Director of Extension Services shall be appointed for a term of three years or such term as the Board may approve.
- (3) The post of Director Extension Services shall be interchangeable with that of any other Directors and also with that of any of the Deans of colleges provided the requirement of minimum qualification is fulfilled.
- (4) It shall be the following duties of the director of Extension Services:-
 - (a) To exercise overall control of on-campus and off-campus educational work involving cultivators and rural families;
 - (b) to prepare yearly programmes and budget needed for the education of cultivators and other non-students in connection with the extension scheme;
 - (c) to assist the Deans of Faculties in developing courses and in teaching the students in various forms of the extension education;
 - (d) to supervise off-campus programmes dealing with agricultural cooperatives and rural youth programmes;
 - (e) to exercise supervision over the extension specialists, assigned or attached to the colleges and units and such other members of the staff who are engaged in extension work in Krishi Vigyan Kendras and to guide the extension work;

- (f) to direct the preparation of materials such as publications, films etc. for better development of the extension programme;
- (g) to distribute any material as a part of the Vishwavidyalaya extension services;
- (h) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of power and discharge of duties under the Act.
- (i) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

3. Emoluments, Powers and Duties of Director of Instructions and Students' Welfare

- (1) The Director of Instructions and Students' Welfare shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/- + AGP 10,000 /- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time
- (2) The Director of Instructions and Students' Welfare shall be appointed for a term of three years or such term as the Board may approve.
- (3) The post of Director of Instructions and Students' Welfare shall be interchangeable with that of any other Directors and also with that of any of the Deans of colleges provided the requirement of minimum qualification is fulfilled.
- (4) The Director of Instruction shall be in overall charge of the Education in all the Faculties of the Vishwavidyalaya and allied subject.
- (5) It shall be the following duties of the Director of Instructions and Students welfare
 - (a) To frame, develop, evaluate and improve courses and curriculum and develop teaching procedure to inculcate in the students' professional competence, character and quality of leadership in consultation with the Dean of Faculty concerned.;
 - to ensure uniform standard of teaching and examination in all constituent colleges of Vishwavidyalaya;
 - (c) to develop an integrated system of teaching, research and extension education and to coordinate the teaching work of different faculties.
 - (d) to make arrangements for providing in-service and post graduate training facilities to academic staff members of constituent Colleges, Research Stations and Farms;

- (e) to exercise overall control on the planning and coordination of work done by the students of the Vishwavidyalaya in preparation for the requirements of post graduate degrees.;
- (f) to co-operate with the relevant college faculty in which students are studying in order that the requirements for various degrees may be fulfilled in proper manner;
- (g) to plan and direct, in coordination with other Vishwavidyalaya Officers and authorities, all non curricular activities for students' including clubs, recreation centers, cooperatives, etc as may, from time to time, be approved by the Vishwavidyalaya for welfare of students;
- (h) to supervise the management of students' hostels, mess arrangements and cafeterias in consultation with respective Dean of the College;
- (i) to cooperate with the staff, in charge of physical activities, NSS, National Cadet Corps and other allied activities;
- (j) to deal, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, with student indiscipline, excessive absenteeism and other student irregularities from point of view of maintenance of discipline etc:
- (k) to supervise health programmes and medical facilities for students;
- (l) to make arrangements for scholarships, stipends and other such assistance as may be deemed necessary for welfare of students;
- (m) to communicate with guardians of students concerning the welfare of the students;
- (n) to create and manage the placement cell in the matters of employment of the passed out students who have completed courses in Vishwavidyalaya;
- (o) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of powers and discharge of duties under the Act;
- (p) to perform such other duties and discharge other functions as may be assigned to him by the Statutes, Regulations or the Vice-Chancellor, with the prior approval of the Board.

Appointments, Emoluments, Powers and Duties of Deans of Faculties, Deans of Colleges and Librarian

1. Appointment, Emoluments, Powers and Duties of Deans of Faculties:-

(1) The Dean of the Faculty concerned shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor from amongst the Deans of Colleges for a period of three years. The Vice-Chancellor shall have powers to recommend to the Chancellor to curtail/ reduce this period depending upon the exigency of service and convenience of administration. The Deans of Faculties

shall receive a salary in the scale of pay Rs. 37400-67000 + AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.

(2) The Dean of Faculty shall:-

- (a) Be the Chairman of each of the Faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the administration and Execution of Faculty policies;
- (b) be responsible for due observance of the Statues and other regulations relating to the faculty;
- (c) formulate and present policies to the Academic Council for their consideration without prejudice to the right of any member to present any matter before the Council;
- (d) be responsible to organize, advise, guide and conduct matters relating to the policies and programmes related with teaching / research / extension, curricula courses, course outlines, examinations, registration and admission etc., in the Faculty with due consultation of respective Directors and act as the Chief Adviser to the Vice-Chancellor and other concerned officers in this connection;
- (e) serve as the medium of communication for all official business of the Faculty with other authorities or officers of the Vishwavidyalaya, colleges, students and the public;
- (f) perform such other duties and functions as may be assigned to him by the Statutes, Regulations or the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

2. Emoluments, Powers and Duties of Dean of College :-

- (1) The Dean of the College shall be appointed in accordance with the Statute-1(1). The Dean of the College shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/- + AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.
- (2) It shall be the duty of the Dean of College-
 - (a) To exercise overall control of the College and zone of which he is the administrative and academic head in respect of all employees, students, activities, facilities and of the expenditure incurred therein;
 - (b) to supervise the teaching, research and extension work of the staff of the college and be responsible for the work and conduct of all the students of the college;
 - (c) to be responsible to the Vice-Chancellor through the Dean of the Faculty and the Director concerned, in exercise of the powers and discharge of duties under this Statute;
 - (d) to exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Vice-Chancellor in regard to the College of which he is the Dean and to be responsible in all technical and administrative matters related to teaching, research and extension etc. through the Dean of the Faculty and the Director concerned.

- (3) The Dean of the College shall: -
 - (a) Be responsible for the due observance of the Statutes and regulations;
 - (b) supervise the admission, registration, conduct and discipline and progress of the students in his college;
 - (c) formulate and present policies on academic matters pertaining to his college to the Faculty for consideration through the Dean of Faculty/Director of Instructions and Students' welfare;
 - (d) be responsible for proper administration of Research Stations/ Instructional Farms / Units attached to the College/Zone;
 - (e) be also responsible to the concerning authorities for the use and maintenance of lands, buildings, laboratories, libraries and such other properties of the College, the Research Stations/Instructional Farms, KVKs and other units attached to the college/Zone;
 - (f) be responsible for the maintenance, supervision, functioning of the hostels of the college;
 - (g) be responsible for the procurement of stores, equipments and such other items as are necessary for the college and units attached with the same;
 - (h) be responsible for the maintenance of high standard of discipline in the institutions under his control;
 - (i) be responsible for the maintenance of high standard of financial discipline in the institutions under his control;
 - (j) assist the Dean of the Faculty for all policies and programmes related to teaching, research and extension work in the College on coordinated basis,
 - (k) prepare proposals for College activities and budget estimates for the needs there of and be responsible to the Comptroller through the Vice-Chancellor. He shall also see that all college activities are in accordance with sanctions of the appropriate authorities;
 - (l) assist the Director of Research Services on the development of plans and budgets for research in the prominent subjects and in the preparation of reports as may be asked by him and also direct the research work done by the scientists and students and under the schemes attached with the institutions under his control;
 - (m) (i) assist the Director of Extension Services on development of plans and budgets for extension work in respect of the institutions under his control;
 - (ii) assist the extension services on the development of informational materials; and
 - (iii) direct the extension education work to be done by the scientists of the college;

- (n) assist the Director of Instructions and Students' Welfare and direct the teaching works of all students in his college;
- (o) be responsible to the Vice-Chancellor, through the works section for the educational use of the buildings and rooms assigned to the College and for the general equipment of the College;
- (p) perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-chancellor.

3. Appointment, Emoluments, Powers and Duties of Librarian.

- (i) The Vishwavidyalaya Librarian shall be appointed in accordance with the provisions of under (A) (VII) of Statute-5.;
- (ii) The Vishwavidyalaya Librarian shall receive a salary in the scale of 37400-67000/- + AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government of Madhya Pradesh from time to time.
- (iii) It shall be the duty of the Vishwavidyalaya Librarian:-
 - (a) To maintain control and supervise all libraries of the Vishwavidyalaya in consultation with Director of Instructions and Students' Welfare and to organize their services in the manner most beneficial to the needs of teaching, research and extension;
 - (b) to prepare annual budget for developing and operating all the libraries under the Vishwavidyalaya;
 - (c) to receive and co-ordinate recommendations from Deans of Faculties and Directors for the purchase of books and distribution thereof amongst students and members of the staff;
 - (d) to make recommendations to the Comptroller, through the works section, on the need of improvement in accommodation of the libraries of the Vishwavidyalaya;
 - (e) to do such other things in connection with the library and improvement thereof as may be required by the Vice-Chancellor.
- Explanation For the purposes of this Statute "Libraries of the Vishwavidyalaya" shall include libraries of the Vishwavidyalaya campus and all libraries attached to the Colleges and other units under the administration of the Vishwavidyalaya.

Authorities of the University

- 1. Authorities of the University: As specified in section 23 of the Act, the following shall be the authorities of the University:
 - (i) The Co-ordination Council;
 - (ii) the Board;
 - (iii) the Academic Council;
 - (iv) the Faculties; and such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
- 2. **The Coordination Council**:- There shall be a Council containing for coordinating the activities of the agricultural universities in the State as prescribed in section 24 of the Act. The meetings of coordination council shall be held twice in a calendar year as per section 25 of the Act. The powers and duties of the council are specified in section 26 of the Act.
- 3. **The Board:** The Chancellor shall constitute the Board as per section 27 of the Act. The board shall have powers and duties as specified the section 29 of the Act. The Board shall perform such duties and exercise such powers as specified in the said section of the Act.

STATUTE NO. 9

Academic Council

1. The Academic Council:-

- (1) The Academic Council shall consist of such members as specified in section 30 of the Act and shall have powers and duties as given in section 31 of the Act.
- (2) One teacher from each Faculty of the Vishwavidyalaya shall be elected under clause (vi) of subsection (1) of section 30 of the Act by ballot as follows:-
 - (a) One member shall be elected by the Faculty of Agriculture from amongst its members;
 - (b) One member shall be elected by the faculty of Veterinary Science and Animal husbandry from amongst its member;.
 - (c) One members shall be elected by the Faculty of Agricultural Engineering from amongst its members;
 - (d) One member shall be elected by the other faculties, if any, from amongst their members by rotation, as may be determined by the Vice Chancellor.

(3) The Academic Council shall make regulations not inconsistent with the Statutes as provided in Section 31of the Act for the development of curriculum and syllabi by various Faculties in accordance with the objectives of the Faculty and the Degree requirements of the Vishwavidyalaya. Such regulations shall also provide that proposals of the Faculties shall be subject to the approval of the Academic Council. Council shall also provide such regulations not in consistent with the Statute 5 in respect of admission requirements, evaluation of students performance and financial assistance to students, award of Degrees/Diplomas etc. of various Faculties.

STATUTE NO. 10

Faculties

1. Faculties :-

- (a) The Vishwavidyalaya shall have the following Faculties namely:-
 - (i) Faculty of Agriculture.
 - (ii) Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry.
 - (iii) Faculty of Agricultural Engineering.
 - (iv) Faculty of each of such subject other than those mentioned above for which a new institution is opened or similar other Faculties offered to qualify students for academic degrees.

(b) Each Faculty shall consist of the following members: -

- (i) Dean of the Faculty Chairman
- (ii) Director of Research Services
- (iii) Director of Extension Services
- (iv) Director of Instructions and Students' Welfare
- (v) All Deans of Colleges.
- (vi) Heads of the Department of Studies in the Faculty.
- (vii) Six senior Professors, three Associate Director Research of Zonal Agricultural Research Stations/ Regional Agricultural Research Stations and three Extension specialists employed in the service of the Vishwavidyalaya nominated by the Dean of Faculty in consultation with Director Research / Director Extension / Director of Instructions and Students' Welfare for a period of two years from the date of notification.
- (viii) Two senior Head of the Section by rotation, for a period of two years.
- (ix) Not more than two members, not in employment of the Vishwavidyalaya, as the Dean of Faculty may co-opt for a period of two years.

- (x) One member from each of the other Faculties, as the Chairman may, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, co-opt for such period as he may deem fit.
- (xi) No member other than those specified in the Statute shall attend the meeting of the Faculty.

(c) Duties of the Faculty:- Each faculty shall have the following duties -

- (i) Each Faculty shall be responsible to its Dean.
- (ii) Each Faculty shall draw up a college organizational plan which provides for such departments as deemed best and shall define the scope of the work to be done by the College and the various departments comprised in each Faculty. A proposal of a Faculty shall be considered by the Academic Council and, if approved by the Council shall be forwarded to the Board for its consideration. Any changes desired by the Council and /or Board shall be referred to the Faculty.
- (iii) Each Faculty shall consider and make such recommendations to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work as may appear to it to be necessary or on any matter referred to it by the Academic Council.
- (iv) Subject to Regulations made by the Academic Council, each Faculty shall develop college curricula and course outlines to meet the degree requirements of the Vishwavidyalaya, and shall provide teaching, laboratory and field experiences and other opportunities for learning and shall participate in research and extension activities in accordance with the objective of the Vishwavidyalaya.
- (v) Subject to the provisions of the Statutes, each Faculty shall prescribe detailed conditions of admission of students to the College and to the various courses of study in the Faculty shall formulate standard for the evaluation of the progress and attainments of the students of the college and shall recommend dismissals of students who fail to meet the academic requirements of the college and Vishwavidyalaya.
- (vi) The Faculty shall submit to the Board through Registrar for its consideration, the recommendations that degrees be conferred on students who have satisfactorily fulfilled the degree requirements of the Faculty and Vishwavidyalaya.

(d) Subject to the Statutes, the Faculty shall:-

- (i) Assist the Extension Services on the development of plans for training of cultivators and others who are not students of the college and shall recommend to the Director of Extension Services, the issuance of Diplomas, Certificates or other Recognition to those meeting the prescribed requirements; and
- (ii) assist the Research Service on the development of plans for the conduct of research work aimed at practical solution to cultivator's problems.

Constitution and Duties of other Authorities

1. Declaration of Other Authorities:-

In addition to the authorities mentioned in item (i) to (iv) of Section 23 of the Act, the following shall be the authorities of the Vishwavidyalaya, namely:-

- (a) Administrative Council.
- (b) Extension Education Council.
- (c) Research Council.
- (d) Council of Post-graduate Studies.

2. Administrative Council

- (1) The Administrative Council shall consist of the following persons, namely:-
 - (a) Vice-Chancellor Chairman.
 - (b) All Deans of Faculties.
 - (c) Director of Research Services.
 - (d) Director of Extension Services.
 - (e) Director of Instruction and Student's Welfare.
 - (f) Registrar Secretary.
 - (g) Two Deans of Colleges to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years by rotation.
 - (h) Comptroller.
 - (i) Executive Engineer or Incharge of Works Section.
 - (j) Two 'Heads of Departments from Agriculture Faculty, one from the Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry and one from the Faculty of Agricultural Engineering by rotation according to the seniority for a period of two years.
- (2) It shall be the duty of the Administrative Council to make recommendations to the Vice-Chancellor on all matters with which, Vishwavidyalaya is concerned, except matters pertaining to academic aspects, as may be referred to it by the Board, the Vice-Chancellor, the Academic Council or the Faculties.

3. Extension Education Council:-

- (i) The Extension Education Council shall consist of the following persons, namely:-
 - (a) Director of Extension Services Chairman.
 - (b) All Deans of Faculties.

- (c) Director of Research Services.
- (d) Director of Instructions and Student's Welfare.
- (e) Two Deans of Colleges by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (f) Head of Department of Extension Services.
- (g) Two specialist from Krishi Vigyan Kendras.
- (h) Joint Director Extension Services at Head quarter -Secretary.
- (ii) The Extension Education Council shall be responsible to the Director of Extension Services and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to education, Extension Education and specially with respect to the following:-
 - (a) Training of College Students.
 - (b) Agricultural rural life extension service.
 - (c) Preparation of educational material for cultivators.
 - (d) Conduct of short courses etc., for non-students.
 - (e) Field extension programmes for the benefit of cultivators.
 - (f) The development of agriculture production and making cooperatives.
 - (g) Preparation of material for development of agriculture such as publications, films, etc. for better development of extension.
 - (h) To make suitable recommendations for efficient working of Krishi Vigyan Kendras and matter ancillary thereto:

4. Research Council:-

- (1) The Research Council shall consist of the following members, namely :-
 - (a) Director of Research Services.
 - (b) All Deans of Faculties and Deans of Colleges.
 - (c) Director of Extension Services.
 - (d) Director of Instructions and student's welfare.
 - (e) Associate Directors Research from Research Stations.
 - (f) Librarian.
 - (g) Such other Heads of Department, not more than two, as may be nominated by the Director of Research services.
 - (h) Associate Director Research at Head Quarters-Secretary.
- (2) The Research Council shall be responsible to the Director of Research Services and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to agriculture research of the Vishwavidyalaya and especially with respect to the following subjects:-
 - (a) Agriculture rural life research service;

(b) Preparation of material for development of agriculture such as publications, films, etc., for better development of research.

5. Council of Post-graduate Studies:-

- (1) The Council of Post-graduate Studies shall consist of the following members namely:-
 - (a) Director of Instructions and Student's Welfare Chairman.
 - (b) All Deans of Faculties and all Deans of Colleges.
 - (c) Director of Research Services.
 - (d) Director of Extension Services.
 - (e) Librarian.
 - (f) Two Senior Professors involved in teaching of each faculty by rotation, to be nominated by the Director of Instructions and Student's welfare.
 - (g) Dy. Director of Director of Instructions Office Secretary.
- (2) The Council of Post-graduate Studies shall work under the overall purview of the Academic Council but shall be responsible to the Director of Instructions and Student's Welfare and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to quality teaching and Post-graduate research and studies especially with respect to the following:-
 - (a) The development and laying down of standards of admission to various degrees course of the Vishwavidyalaya;
 - (b) the prescription of courses, Post-graduate research and other requirements for various degrees;
 - (c) the evaluation of performance of candidates for all degrees with concurrence of the Dean of the Faculty concerned for the award of various degrees;
 - (d) the performance of such other functions as may be assigned by the Vice-Chancellor.

STATUTE NO. 12

Committees of Authorities

1. Committees of the Authorities :-

- (a) Each authority of the Vishwavidyalaya may appoint such committees, as it may consider necessary for the efficient discharge of the duties, assigned to it by or under the Act.
- (b) There may be appointed on each Committee a member or members of other authorities and such members of the staff of the Vishwavidyalaya as the authority may deem fit to appoint.

Travelling Allowance and Daily Allowance to nominated members of Authorities and Committees and experts

The nominated members of the authorities, other than the Government servants, under relevant statutes and outside experts engaged for special assignment provided by the Vishwavidyalaya shall be paid travelling and daily allowances for attending meeting of the authority or any Committee thereof at such rates as the Board may determine by Regulations from time to time.

STATUTE NO. 14

Appointment, Qualifications and Pay and other terms and conditions of service of Teachers

- (1) **Appointment :-** Teachers of the Vishwavidyalaya shall also be the persons who have been appointed by the Board as Honorary teachers in any of the aforementioned categories on such terms and conditions as the Board may prescribed, by Regulation.
 - (a) "Teacher" means the person appointed by the University as teacher or employee for the purpose of imparting instructions and / or conducting and guiding research and/ or extension programmes and includes Professor, Associate Professor and Assistant Professor as declared to be the teachers of the University.
 - (b) Any "Teacher" subsequently appointed as an officer as specified under section 12 of the Act (except the Chancellor and the Vice-Chancellor) by promotion or otherwise and has been engaged in teaching for not less than twenty years and holds a lien on a post in the Vishwavidyalaya shall also be a teacher, under this Statute. Besides this, an employee is assigned the work relating to NSS, NCC or Liason and Sports or Administrative job of any nature. In the interest of Vishwavidyalaya shall also be treated as teacher under this statute.
 - (2) A teacher shall be eligible to impart instruction and/or conduct or guide research and/or extension programme including of Krishi Vigyan Kendra's only up to such standard for which he is recognized as such in accordance with the Regulations made by the Board in this behalf.
 - (3) A teacher shall perform such functions and discharge such duties as may be prescribed by Regulations by the Academic Council/ Administrative Council.

(4) The Word "Teachers/Teacher" wherever it occurs includes person engaged in Research, Extension and Krishi Vigyan Kendras activities and also the assignment given by the Vishwayidyalaya as detailed above under explanation.

2. Qualification for teachers of the Vishwavidyalaya :-

Subject to the prior approval of the Board, the academic council shall, by Regulations, prescribe the qualification for the candidates for various grades of teachers of Vishwavidyalaya.

- 3. Scales of pay of teachers and other terms and conditions of their service.
 - (1) Subject to the prior approval of the State Government, the pay scale of the teachers of the Vishwavidyalaya shall be such as may be declare by the University Grant Commission from time to time:-
 - (a) Professor & Head of the

Department (By direct

(Scale of pay for each

Recruitment)

categories of teachers shall be

(b) Professor

filled up by the Administrative

(c) Associate Professor

Department in consultation with

(Selection Grade)

the Vice Chancellor)

(d) Assistant Professor

(Selection Grade)

(e) Assistant Professor (Senior

Grade)

- (f) Assistant Professor
- (2) On the specific recommendations by the Selection Committee supported by reasons recorded in writing, the Vice Chancellor, in consultation with the State Government may, sanction a higher initial salary;
- (a) Not exceeding seven advance increments over the initial pay in the scale of the post to which appointment is made; or
- (b) In the case of candidate already employed, his pay elsewhere shall be protected as per provisions of fundamental rule of the Government of Madhya Pradesh.
- NOTE All cases in which advance increments are granted under clause (a) and pay has been protected under clause (b) shall be duly reported to the Board.

- (3) Subject to the provisions of the Act and this Statute the other conditions of service of the Teachers of the Vishwavidyalaya shall be such as may be prescribed by the Vishwavidyalaya.
- (4) All salaried Teachers of the Vishwavidyalaya shall be whole time teachers and shall be entitled to leave, and allowances and other benefits as may be prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees with the prior approval of the Government of Madhya Pradesh.

STATUTE NO. 15

Responsibilities and Duties of the Heads of Department and

Sections of Colleges and other officers

1. Responsibilities and duties, etc., of Heads of Departments at Head Quarter/ Heads of Sections in teaching at colleges. Associate Director Research / In charge of Research Stations and In charge of Krishi Vigyan Kendras.

A Department is the primary unit of teaching, research and extension in a particular field of knowledge within a Faculty. The responsibilities and duties of the Head of Department/ Head of Sections/ Associate Director Research or In charge of Research station/ Krishi Vigyan Kendras shall be as follows:-

- (a) They shall be responsible to the Dean of Faculty as well as to Director Instruction Student's Welfare for organization of the teaching in the Department, for the quality and efficient progress of the work related therewith and for the formulation and execution of Departmental policies as they affect the Department.
- (b) They shall report on the teaching, research and extension work of the department/ Dean/ Unit to the Zonal Dean of college concerned with copies to respective Dean of faculties and Directors, as the case may be.
- (c) They shall have complete supervision of the work of Unit/Department.
- (d) They shall prepare the Departmental/Unit budget and be responsible for proper utilization of funds allotted and generating receipts and for the care of departments/units property.
- (e) They shall regularly call meetings of the staff of departments/Units for discussion on policies, events procedures assigned to the department/unit and inform staff members of the Department/Unit regarding the nature and scope of the work to be undertaken in order to maintain work culture amongst all staff.
- (f) They shall exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to them by the officers of the Vishwavidyalaya through respective Dean of faculty or Directors, as the case may be.

STATUTE NO. 16

Conditions of Service, leave and Emoluments

of other Employees

1. Other Employees of the Vishwavidyalaya and their conditions of Service etc.-

Service personnel:- The Vishwavidyalaya shall employee such other service personnel other than those hereinbefore mentioned, as may from time to time be needed to carry on the activities of the Vishwavidyalaya. The pay scale, qualifications for recruitment, posts which are to be treated as point of entry posts, conditions of services and duties to be performed by such service personnel shall be such as may be prescribed by the Board on recommendation of the Administrative Council. Such service personnel shall be under the control of the respective officers concerned of the Vishwavidyalaya and shall be responsible to them.

Provided that appeal, against punishments or adverse service conditions, shall be preferred by the personnel to such authority and in such manner as may be laid down by the Board.

2. Additional work by Vishwavidyalaya employees:-

- (a) An employee of the Vishwavidyalaya shall be entitled to additional remuneration for work done for Vishwavidyalaya in addition to his regular prescribed duties, at such rate as prevalent in the Government of Madhya Pradesh for respective cadres. This additional remuneration shall be granted by the Comptroller after getting approval from the Vice-Chancellor.
- (b) An employee of the Vishwavidyalaya (including an officer, teacher or service personnel) shall not engage himself/herself in activities outside the Vishwavidyalaya. When any such activity is prejudicial to the interests of the Vishwavidyalaya, the Vishwavidyalaya shall proceed against such employee who is found violating prescribed norms of conduct rules adopted by the Vishwavidyalaya.
- 3. **Leave:** All the Employees of the Vishwavidyalaya shall be governed by such leave rules, which are applicable to the servants of State Government relating to an equivalent cadre or grade.

STATUTE NO. 17

Provident Fund Scheme

1. Definitions-

In this statute unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009);

- (b) 'Committee' means the Committee constituted under this statute for the administration of the Fund;
- (c) 'Continuous Service' means uninterrupted service as defined in the rules of the Government of Madhya Pradesh;
- (d) 'Employee' means a person in the whole time service of the Vishwavidyalaya appointed as per provisions of Statutes to a permanent or temporary post but does not include a person on deputation or engaged on daily wages or work-charged establishment or on contract basis;
- (e) 'Family' means a family as defined in the rules of Government of Madhya Pradesh;
- (f) 'Fund' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Contributory Provident Fund;
- (g) 'Salary' in relation to an employee means, monthly salary and includes all fixed allowance payable to the employee;
- (h) 'Section' means Section of the Act;
- (i) 'Subscriber' means a employee on whose behalf amount of subscription is deposited under the statute:
- (j) 'State Government' means, Government of Madhya Pradesh;
- (k) 'Vishwavidyalaya' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya;
- (l) 'Year' means the financial year as defined in a Treasury Code and Financial Code of the Government of Madhya Pradesh;
- (m) Words and expressions used but not defined in the statute shall have the same meanings as assigned to them in the act.

2. Administration of Provident Fund Account and Audit:-

- (i) The fund shall be held by the Vishwavidyalaya and shall be administered by a Committee of Trustees constituted by the Vice-Chancellor comprising of the Vice-Chancellor, Registrar, Comptroller, and at least two representative of the employees to be nominated by the Vice-Chancellor. The Committee can also co-opt the services of a Chartered Accountant.
- (ii) All money belonging to the Fund shall be deposited in the State Bank of India or in such Nationalized Scheduled Banks as may be decided in this behalf by the Committee or invested in the securities of State Governments or Central Government in the name of Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, "Contributory Provident Fund" which shall be operated by the Comptroller and one or more persons jointly as may be nominated by the Committee.

- (iii) The Accounts of the Fund shall be made up yearly as at the 31st March and an audited statement of accounts shall be submitted to the meeting of Committee to be held not later than the 31st August, in every year or within two month of the annual account audited whichever is later and a copy of such statement shall be made available to the subscribers as may be after such meeting.
- (iv) The accounts of the fund shall be audited by the same authority who audits the accounts of the Vishwavidyalaya or by a Charted Accountant appointed by the Vishwavidyalaya.
- (v) At every meeting of the Committee, the Vice-Chancellor or in his absence the Registrar or in the absence of both, the Comptroller, shall preside .The presence of at least three members shall be necessary to for a quorum for the transaction of business. Each member shall have one vote and in case of equality of votes, the presiding officer shall have casting vote.

3. Subscription to the Fund:-

(i) Every employee of the Vishwavidyalaya as defined in clause 2(d) of this Statute shall be entitled and required to become a subscriber to the Contributory Provident Fund from the beginning of the month, following that in which he had completed one years continuous service, except those absorbed in this Vishwavidyalaya from the Jawaharlala Nehru Krishi Vishwavidyalaya service under Section 57 of the Act and have opted for Pension under Contributory Provident Fund Scheme of retirement benefit:

Provided that an employee who has been admitted to the benefits of the Provident Fund in terms of the above provisions shall have the option within 60 (sixty) days of his completing one years continuous service to make subscription from the date of his appointment in the Vishwavidyalaya and in that case the Vishwavidyalaya shall also contribute to his account the sum at such rate as prescribed under this statute. The arrears of subscription shall be recovered in suitable monthly installments:

Provided further that nothing in this sub-clause shall apply to an employee employed on deputation or engaged on contract basis or on daily wages or work-charged establishment.

- (ii) Employees excluded by the sub-clause (i) above and any other person in receipt of pay other than casual remuneration from the Vishwavidyalaya may also subscribe to the Fund, and their funds shall be regulated as per Employees Provident Fund Act, 1952.
- (iii) The subscriber shall subscribe monthly to the Fund at such rate of his pay not being less than 10% as may be fixed by him from time to time. The application for fixing the rate of subscription shall be made in the form prescribed by the Vishwavidyalaya. Such subscription shall be deduccted by the Vishwavidyalaya from the salary payable to the subscriber every month. The Vishwavidyalaya's contribution will remain fixed as provided by this statute.

- (iv) Within the above limits, the subscriber can change the rate of subscription with effect from the commencement of each financial year.
- (v) The rate of subscription once fixed shall remain unaltered throughout the year.
- (vi) Notwithstanding anything contained in sub clause (iii) to (v) of this clause, the employees shall subscribe monthly to the Fund, such portions of the Dearness Allowance as may from time to time be directed by the Comptroller in this behalf. No contribution shall be payable by the Vishwavidyalaya on account of such subscription.
- (vii) The subscription of a employee who proceeds on unauthorized leave or placed under suspension shall not be made during his period of suspension or unauthorized leave. However, if he is honorably acquitted or reinstated on full pay or his unauthorized absence is regularized then, full contribution will be recovered from him for the period of suspension or leave period and the Vishwavidyalaya contribution will be payable as per provisions of this statute.
- (viii) Save as otherwise provided, the Vishwavidyalaya shall contribute to the Fund every month 10% of the salary of each subscriber as employer's contribution to the fund, provided that no such contribution shall be made by the Vishwavidyalaya in respect of a subscriber who has been permitted to subscribe additional funds under sub clause (vi).
- 4. **Interest:** The Vishwavidyalaya shall, on the 31st day of March every year or as soon as thereafter as may be possible;
 - (a) Prepare an account of the total interest accrued and received on the investment of the Fund during the year;
 - (b) determine and notify with the approval of Vice-Chancellor of the Vishwavidyalaya the rate at which interest shall be allowed during the year on all deposits standing to the credit of every subscriber of the Fund;
 - (c) credit the amount of interest due to every subscriber based on the balance monthly products of each subscriber's account during the preceding year; and
 - (d) calculate interest on all sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber which shall be payable for a period of six months beyond the date of retirement/ resignation/ termination/ death:

Provided that interest shall be paid up to a period of one year from that date if the delay in payment is found to be on the part of the Vishwavidyalaya.

5. Withdrawals from the fund and recoveries:-

The Comptroller with the prior approval of the Vice-Chancellor may grant a temporary advance, not exceeding in any case, the subscriber's own subscription and interest thereon out-of the amount standing to his credit in the fund. This may be granted to a subscriber on application, subject to the conditions as laid down by the Government of Madhya Pradesh for withdrawal of advance and repayment of amounts withdrawn under General Provident Fund rule.

6. Payment of amount standing to the credit of the Subscriber:

(i) The sum standing to the credit of a subscriber shall become payable on his quitting the service by way of resignation, termination, dismissal, death, retrenchment and/or retirement:

Provided that if the Vice-Chancellor so directs, there may be deduction from the fund and paid to the Vishwavidyalaya any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Vishwavidyalaya up to the total amount contributed by Vishwavidyalaya to his account including the interest credited in respect thereof:

Provided further that, where the subscriber has been dismissed from his employment on account of gross misconduct or gross negligence, the whole or any part of the amount of employer's contributions together with interest credited in respect thereof shall not be paid.

(ii) No employee shall be entitled to receive the amount contributed by the Vishwavidyalaya on his behalf and the interest thereon unless he has been in the service of the Vishwavidyalaya for a continuous period of five years from the date he has been permitted to subscribe to the provident fund at the rate prescribed in clause 4 (iii) and that he has been permitted to resign or has retired or has died or has been retrenched.

Explanation - The Contributory Provident Fund account shall be closed on the day, the above event takes place.

7. Nominations:

Every subscriber shall as soon as may be after joining the fund send to the Vishwavidyalaya office a nomination conferring, in the event of his death, on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund. To regulate the cases for nominations and disputes, if any, the Vishwavidyalaya shall follow the rules prevalent in the State for Government Servant of Madhya Pradesh.

8. Expenses of the Fund:-

All expenses relating to the administration of the Fund including the pay and allowances of the staff appointed for the purpose of administering the Fund shall be borne by the Vishwavidyalaya and shall not be charged to the Fund.

9. Powers of the Committee :-

- (1) For matters not provided in this statute the Committee may exercise such powers, as it may deem necessary, for the administration of the Fund.
- (2) The Committee may also prepare supplementary Regulations and adopt the same with the approval of the Board:

Provided that the Committee shall, in exercise of its powers, prepare Regulations in accordance with the provisions of the Provident Fund Act, 1925 or the Employees Provident Fund Act, 1952 and the scheme or the rules framed thereunder.

10. Pension and Gratuity under Contributory Provident Fund Scheme :-

Employees who have opted for pension and gratuity under Contributory Provident Fund Scheme before formation of this Vishwavidyalaya with effect from 01.04.1987 or thereafter shall continue to be governed by the said scheme and draw pension and gratuity. Regulations for pension and gratuity for the benefits of teacher and service personnel shall be the same as the Scheme therefore prevalent in Jawaharlala Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur existed, as on 01.04.1987:

Provided that employees appointed with effect from 01.01.2005 and thereafter shall be governed by "Paribhashit Anshdan Pension Yojna" as amended from time to time and notified by the Government of Madhya Pradesh and adopted by Jawaharlala Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur as well as by this Vishwavidyalaya to regulate pension and gratuity from the aforesaid date.

STATUTE NO.18

Academic Programmes, Admission and Performance, Conduct and Discipline of Student and other Provision

1. Definitions

In this statue, unless the context otherwise requires -

(a) "Academic Year/ session" means a two semesters period during which a cycle of educational work is completed as per the academic calendar/ semester schedule notified by the Vishwavidyalaya.

- (b) "Act" means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam,2009 (No.4 of 2009);
- (c) "Semester" means a period of 105 working days. Out of which 85 days shall be devoted for teaching. There shall be two semesters in an academic-year;
- (d) "Section" means the section of the Act;
- (e) "Curriculum" means a series of courses distributed in semesters, selected and designed by the respective faculty to provide training to meet the requirement of a degree;
- (f) "Credit" means contact time per week devoted by a student to class, laboratory, or field work that is to say-
 - (i) "One Credit" one theory of 45 minutes or one practical of 90 minutes per week;
 - (ii) "Two Credit" two theory of 45 minutes or two practical of 90 minutes per week; and similarly for Three or Four credits.
- (g) "Course" means a series of classes and work experiences of specific subjects, extended over a semester and being as integral and specific part of a curriculum;
- (h) "Vishwavidyalaya" means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya;
- (i) Words and expressions used but not defined in this Statute shall have the meanings as assigned to them in the Act.

2. Vishwavidyalaya Calendar for teaching:-

- (i) The academic year shall normally commence on or after 1st July every year.
- (ii) Each semester shall consist of about 105 working days out of which a minimum of 85 days shall be devoted to teaching. At least 80% of the scheduled classes must be held in a semester.
- (iii) The Vishwavidyalaya shall publish, prior to the beginning of an Academic year, Information Booklet for students containing details as under-
 - (a) Calendar of teaching for the Academic Session;
 - (b) Minimum admission requirements for various degrees, seats available for admission in various colleges;
 - (c) Schedule of fees to be paid by a enrolled students;
 - (d) Scholarships, Financial assistance as provided by the Vishwavidyalaya as well as by other agencies from which students may meet their financial requirements;
 - (e) Various degrees, diplomas to be awarded by the Vishwavidyalaya and the requirements there of;
 - (f) Regulations for continuance, dropping and readmission of students;
 - (g) Attendance requirements for each student;
 - (h) Hostels and other residential accommodation for students;

3. Admission of students afresh to the Vishwavidyalaya:-

- (i) Intending candidates for seeking admission to various degree courses of the Vishwavidyalaya must possess, the minimum admission requirements prescribed by the Academic Council of the Vishwavidyalaya from time to time.
- (ii) Intending candidates for seeking admission to the Vishwavidyalaya shall possess good moral habits and such other personal and physical pre requisites as may be determined by the Academic Council from time to time.
- (iii) Candidates selected afresh to various courses of the Vishwavidyalaya shall be informed by Registered Post and their names shall also be displayed on the Notice Board in the manner as may be prescribed from time to time by the Academic Council.

4. Students performance and Evaluation thereof:-

- (i) The academic performance and achievements of the students shall be assessed through mid-term and final theory examination and evaluation of laboratory/ field work in accordance with the rules/ regulations framed by the Academic Council from time to time:
- (ii) The minimum 50% passing marks in individual theory papers and practical separately shall be compulsory and weightage shall be given to theory and practical examination which shall be decided by the faculty concerned;
- (iii) Evaluation of student will be done on 10 point scale as approved by the Academic Council of the Vishwavidyalaya with minimum Grade Point Average (GPA) of 5.00 and 6.00 for passing a course/subject at under graduate level and post graduate level, respectively;
- (iv) A student obtaining Overall Grade Point Average (OGPA) of 5.50 at Bachelor's degree or 6.50 at Master's or 7.00 and Ph.D. degree on 10.00 scale at the end of degree programme and on completion of other requirements as laid down by the faculty, shall be eligible for the award of respective degrees.

5. Placement on Academic Probation continuance and dropping:-

(i) An enrolled student shall be placed on Academic probation as per regulation laid down by the Academic Council. When a student is placed on probation, the Dean of the concerned College shall give intimation to this effect to all concerned including the parents of the students, Continuance of a student on the college roll shall be regulated as per rules laid down by the Academic Council from time to time.

(ii) A student who fails to secure status for registration of next higher class in two consecutive academic sessions, shall also be entitled for readmission in the IIIrd academic session. Further, if he/she fails to complete the minimum requirements of the various degrees within the stipulated time limit fixed by the Academic Council, shall be liable for dropping from the rolls of the Vishwavidyalaya.

6. Conduct and Discipline:-

- (i) The students enrolled in the Vishwavidyalaya are required to maintain exemplary character, good conduct and disciplined behavior at all times within and outside the College or Vishwavidyalaya in all sphere of their activities.
- (ii) The student of the Vishwavidyalaya shall not take part in political activities and shall not organize themselves in groups or associations that are against the interest and proper functioning of the Vishwavidyalaya.
- (iii) The Dean of the concerned college shall have the overall responsibility for the maintenance of discipline and good behavior of students within and outside college premises.
- (iv) Students enrolled in the Vishwavidyalaya shall not be allowed to join service, job oriented programmes, stipendiary assignments during the residential requirement for the degree programmes. Students violating these provisions shall be liable for rustication from the Vishwavidyalaya;

7. Financial Assistance to students. :-

- (i) The Vishwavidyalaya shall make regulations with the approval of Administrative Council to provide financial assistance to meritorious students and to the deserving students who are financially weak;
- (ii) The Vishwavidyalaya shall raise funds by getting donations from donors/charitable trusts in order to provide financial assistance to deserving students of the Vishwavidyalaya on their requests, without prejudice to the interest of the Vishwavidyalaya;

8. Schedule of fees for students:-

An enrolled student shall pay such semester fees, as may be prescribed by regulations made by the Administrative Council. Fees once paid shall not be refunded However, it can be adjusted or refunded if, the omission is on the part of the Vishwavidyalaya.

STATUTE NO. 19

Awards of Degrees, Diplomas and Certificates and requirements

1. Bachelor's degree requirements

(i) An enrolled student on completion of minimum residential requirements and prescribed courses laid down by the respective faculty shall be eligible for the award of Bachelor's degree. The degree programmes conducted by the Vishwavidyalaya are as under;

| (a) Bachelor of Science (Agriculture) | B.Sc. (Agriculture)- 4 years degree Course |
|--|--|
| (b) Bachelor of Science (Horticulture) | B.Sc. (Horticulture) -4 years degree Course |
| (c) Any other Bachelors Degree in the fie Board of the Vishwavidyalaya. | old of agriculture and related fields as approved by the |

- (ii) An enrolled student of Bachelor's degree shall be required to study series of courses (curriculum) prescribed by the respective Faculty and approved by the Academic Council so as to provide opportunities to student to gain basic and usable knowledge which should make him capable of dealing reasonable well with all facts of relevant subject and rural life. The curriculum shall include courses in -
 - (a) basic science and humanities;
 - (b) basic and specialized subjects of the faculty-fields related thereto; and
 - (c) special professional and/or vocational subjects.
- (iii) A student in order to earn a Bachelor's degree shall, according to prescribed standards have completed in the Vishwavidyalaya, the course credits prescribed by regulations for the particular degree and shall have earned an Overall Grade Point Average (OGPA) of at least 5.50 out of 10.00 scale.

2. Award of Post Graduate Degree and requirements thereof:-

(i) An enrolled student on completion of minimum residential requirements and prescribed courses, laid down by respective faculty shall be eligible for the award of Post Graduate degree as under:

| (a) | Master of Science (Agr | iculture) | M.Sc. (Agriculture) | 2 year degree course |
|-----|--|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| (b) | Master of Science (Hor | ticulture) | M.Sc. (Horticulture) | 2 year degree course |
| (c) | Doctor of Philosophy (| Agriculture) | Ph.D.(Agriculture) | 3 year degree course |
| (d) | Doctor of (Horticulture) | Philosophy | Ph.D. (Horticulture) | 3 year degree course |
| (e) | Any other Master/Ph.D the Board of Vishwavid | - | e field of agriculture and | related fields as approved by |

- (ii) An enrolled student of Post Graduate degree shall be required to study series of courses prescribed by the respective faculty and must earn minimum 6.50 Overall Grade Point Average(OGPA) at Master level and at Ph.D. level out of 10.00 scale to obtain the degree.
- (iii) Post Graduate students are also required to submit a thesis or project report or both, on the basis of research problem/project allotted by the Advisory Committee and approved by the Faculty/ Director of Instruction.

3. Honorary Degree :-

In the best interest of the Vishwavidyalaya, Honorary degree may be conferred to an Eminent Scientist or Distinguished person on the recommendation of the Academic Council and Board and shall make such recommendations to the Chancellor as it deems to be necessary in the best interest of the Vishwavidyalaya.

4. Diplomas and Certificates:-

The Vishwavidyalaya may, in accordance with the Regulations made by the Academic Council, award to enrolled students and to other persons who have completed non-degree work sponsored by the Vishwavidyalaya, appropriate diplomas or certificates without prejudice to the interest of Vishwavidyalaya.

5. Holding of Convocation :-

Convocation shall be held to confer degrees once in a year or as early as possible by the Vishwavidyalaya according to the Additional Statute to be made for the purpose.

6. Withdrawal of Degree, Diplomas etc:-

The Vishwavidyalaya can withdraw a degree, diploma, certificate or other distinctions conferred on a person, if the interest(s) of the Vishwavidyalaya are adversely affected, with the prior approval of Academic Council and Board. However, for withdrawal of Honorary degree, concurrence of the Chancellor shall be mandatory.

STATUTE NO. 20

Provision of Housing Accommodation for Employees and Hostel for Students and other Facilities

1. Housing and other facilities for employees:-

- (i) The Vishwavidyalaya may procure, construct, take on lease, such number of houses for the use of Vishwavidyalaya employees, as may be determined by the Board to be necessary for the proper functioning of the Vishwavidyalaya employees. The Administrative Council shall make necessary Regulations for the housing matters of the staff.
- (ii) As recommended by the Administrative Council, the Board may provide and operate for employees of the Vishwavidyalaya health, recreational and other ancillary facilities. All such facilities shall be administered by the Administrative Council according to the Regulations made.

2. Cafeterias and other conditions of accommodation for students:-

- (a) An enrolled student of the Vishwavidyalaya shall live in-
 - (i) His own home or the home of his parents or at a place where the college situated;
 - (ii) A Vishwavidyalaya hostel or approved accommodation for students.
 - (b) The Regulation shall be made by the Academic Council on this subject.
- (c) The Vishwavidyalaya shall provide and operate for enrolled students of the Vishwavidyalaya such cafeterias, health, facility recreational, shopping and other ancillary facilities as may be deemed necessary, by the Board to be in the best interests of the students of the Vishwavidyalaya. The Administrative Council shall in consultation with the Academic Council make Regulations for such purpose. The regulations shall be administered by the Dean of Students Welfare and by such other persons as may be designated by him with the approval of the Vice Chancellor.

3. Vishwavidyalaya hostels for students:-

(i) The Vishwavidyalaya shall provide and operate hostels as may be deemed necessary by the authorities in the best interest of the Vishwavidyalaya students and it may also provide other housing facilities for enrolled students of the Vishwavidyalaya;

- (ii) An enrolled student who occupies a Hostel or other facility of the Vishwavidyalaya shall pay, prior to the beginning of semester, to the Vishwavidyalaya such hostel fee as may be determined by the Administrative Council.
- (iii) The Board may grant exemption from payment of the hostel fee to an indigent person or student as it may deem fit;
- (iv) The Academic Council shall make Regulations for the management of hostels and other matters related thereto and such Regulations shall be administered by the Dean of Students Welfare. The Regulations so made shall provide for maximum participation of enrolled students in the management of hostels occupied by them which is consistent with good management of a Vishwavidyalaya facility;
- (v) For the purpose of this statute, the hostel fee shall include messing charges.

STATUTE NO. 21 Alumni Association

1. Alumni Association related to Vishwavidyalaya:-

- (a) There may be exist but not as an official authority of the Vishwavidyalaya, an organization to be known as the Vishwavidyalaya Alumni Association. Only persons who have received and continue to hold a degree from the Vishwavidyalaya shall be eligible for full membership in the Association. The Vishwavidyalaya degree holders, under the guidance of the Vice-Chancellor, may establish such an association with constitutional byelaws approved by the Board;
- (b) A man of eminence may be adopted as patron of the Alumni Association.

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2014

अनंतिम अधिसूचना

क्र. एफ 4(सी)1-13-ए-16.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 5 की उपधारा (1) एवं खण्ड (ब) के अन्तर्गत श्रम विभाग की समसंख्यक प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)-1-93 श्रम सोलह-ए, दिनांक 29 जनवरी 1994 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)-1-94-सोलह-ए-दिनांक 7 जून, 1997 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 4(सी) 1-84-सोलह-ए, दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग एक की प्रविष्टि क्रमांक 2 में उल्लेखित तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सिम्मिलत है) विनिर्माण में नियोजन में न्यूनतम वेतनदरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करता है तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इस प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दो माह पश्चात् विचार किया जावेगा :—

प्रस्ताव

| कर्मचारियों के वर्ग | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर |
|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिये) | रुपये 92.00 किन्तु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो, तो उसे अधिसूचना के परिशिष्ट में बताये गये शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा. | न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रिमकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल से प्रति बिन्दु प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से देय होगा. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक 1 वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी. |

2. रिलाई श्रमिक

(अ) बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाने :--

| कर्मचारियों के वर्ग | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दैर |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| (1) लेबल चिपकाने तथा पूड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य. | रु. 52.39 पैसे प्रति हजार कट्टों पर. | 50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार. |
| (2) यदि कट्टे पर दोनों और लेबल लगाया जाता है. | रु. 56.26 पैसे प्रति हजार कट्टों पर. | 50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार |

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|---|
| (ब) झिल्ली तथा लेबल लगाने संबंधी व | मार्य :— | | |
| (1) | (2) | | (3) |
| (1) झिल्ली लेबल लगाना | रु. 45.95 पैसे प्रति | हजार कट्टों पर. | 50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार. |
| (2) झिल्ली लगाना | रु. 33.54 पैसे प्रति | हजार कट्टों पर. | 75 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार. |
| (3) लेबल लगाना | रु. 12.84 पैसे प्रति | हजार कट्टों पर. | 50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार. |
| (4) पूड़ा बनाना, या चिपकाना | रु. 13.25 पैसे प्रति | हजार कट्टों पर. | 50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार. |
| (स) एक हजार कट्टों पर जबकि 25 व | न्नीड़ियों का कट्टा हो : | | |
| (1) आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य. | रु. 192.64 प्रति लार | ब बीड़ी पर. | 1 रुपया प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर. |
| (2) झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगानेका कार्य. | रु. 213.59 प्रति लार | ख बीड़ी पर. | 1 रुपया प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर |
| (3) झिल्ली तथा नक्षी झिल्ली लगानेका कार्य. | रु. 213.59 प्रति लाग | ख बीड़ी पर. | 1 रुपया प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर. |
| (1) | न्यूनतम वेतन की (2) प्रतिमाह | - | कंडिका 3 से 9 के संदर्भ में (3) |
| बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले के लिए. (क) तम्बाकू तथा तेंन्दूपत्ता देने या बीड़ियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति. | रु. 5075.00/− | रु. 195.00 | न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2012 से जून, 2012 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक 6 माह में पिछले 6 माहों के औसत सूचकांक के आधार पर गणना की जाकर प्रतिबन्दु 25 रुपये प्रतिमाह की दर से देय होगा. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी. |
| (ख) ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति. | रु. 4945.00/− | ₹. 190.00 | |
| तम्बाकू मिश्रण तथा छांनने का कार्य करने के लिये. | ₹. 5075.00/- | ₹. 195.00 | · |

| | (1) | न्यूनतम वेतन क् (2 प्रतिमाह | • | कंडिका 3 से 9 के संदर्भ में (3) |
|----|---|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 5. | भट्टी वाला रसोइया | ₹. 5075.00/- | ₹. 195.00 | |
| 6. | ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन | ₹. 5225.00/- | ₹. 201.00 | |
| | ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन | ₹. 5075.00/- | ₹. 195.00 | |
| 7. | एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क. | ₹. 5225.00/ | ₹. 201.00 | |
| 8. | टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन | ₹. 5075.00/- | ₹. 195.00 | |
| 9. | भृत्य, चौकीदार | ₹. 4945.00/- | रु. 190.00 | |

- नोट. —बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे-बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायव्हर, भारी वाहन, हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रिमकों के वेतन के अनुसार विनियमित होंगे. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :—
 - (1) **कुशल**—ड्रायव्हर (भारी वाहन), एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउनकीपर.
 - (2) **अर्द्धकुशल**—बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायव्हर (हल्का वाहन), टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क.
 - (3) अकुशल—ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार.

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि

विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सिम्मिलित है.

- 2. **परिवर्तनशील महंगाई भत्ता**—(1) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिये) श्रिमकों के लिये लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रिमकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल से प्रति बिन्दु प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से देय होगा. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक 1 वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.
- (2) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में रिलाई श्रमिक तथा बीड़ी छांटने एवं जांच करने वालों के लिये जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2012 से जून, 2012 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर से की जावेगी. परिवर्तशील महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

- निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा. एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा.
- 4. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाले कच्चा माल तम्बाकू तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.
- 5. गारेन्टेड वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.
- 6. यदि कर्मचारी अनिच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारेन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.
- 7. जो कर्मचारी उसे दिये गये कच्चे माल की मात्रा, यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता हो तो वह गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.
- 8. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षोभ या इसके समान अन्य स्थिति में, जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.
- 9. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल्य न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है. यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रिमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे.
- 10. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है.
- 11. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये की गुणांकों को पूर्णांक राउण्डअप कर ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-7-2006-नियम-चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ 2-1-2012-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (पैंतालीस-क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्धारण के परिवर्तन और प्रीमियम के अधिरोपण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

- 1. इन नियमों में "संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959).
- 2. ये नियम दिनांक 30 दिसम्बर 2011 से लागू होंगे :

परन्तु 30 दिसम्बर 2011 से इन नियमों का राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख तक की कालाविध के दौरान व्यपवर्तित भूमि की दशा में, प्रीमियम का अधिरोपण तथा निर्धारण का नियतन, 30 दिसम्बर 2011 को प्रचलित नियमों के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा मानो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 42 सन् 2011) पारित ही नहीं हुआ हो.

क-निर्धारण में परिवर्तन

- 3. जब ऐसी भूमि, जो पहले से ही कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित हो और उसी आधार पर पुनर्निधारित हो, कृषि के प्रयोजन के लिए पुन: व्यपवर्तित की जाती है तो इस प्रकार पुन:नियत किया गया निर्धारण भूमि के उस कृषि निर्धारण के बराबर होगा जो अंतिम बंदोबस्त के समय निश्चित हुआ हो.
- 4. जब ऐसी भूमि का, जो पहले से ही कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित हो और उसी आधार पर निर्धारित हो, कृषि के प्रयोजन के लिए पुन: व्यपवर्तित की जाती है और इस संबंध में आश्रय लेने के लिए कोई कृषि निर्धारण न हो, तो पुन: व्यपवर्तिन पर निर्धारण उसी दर से निश्चित किया जाएगा जो कि उसी गांव में या पड़ोस के गांव में वैसी ही मिट्टी के लिए अंतिम बंदोबस्त के समय स्वीकृत की गई हो.
 - 5. नियम 3 और 4 के अधीन निश्चित किया गया निर्धारण गांव के अगले उत्तरवर्ती बंदोबस्त तक प्रभावशील रहेगा.
- 6. यदि कोई भूमि, जिसका निर्धारण किसी एक प्रयोजन के उपयोग के लिए हुआ हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जाती है, तो उस पर निर्धारण को पुनरीक्षित किया जाएगा और भू-राजस्व को, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दरों से निश्चित किया जाएगा:

परन्तु जहां भूमि, एक से एक अधिक कृषि से भिन्न प्रयोजनों (मिश्रित उपयोग) से व्यपवर्तित की गई हो, उस पर निर्धारण अनुसूची में विनिर्दिष्ट इन प्रयोजनों के उपयोग के अनुपात में नियत किया जाएगा.

ख-प्रीमियम का अधिरोपण

- 7. जब कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये निर्धारित कोई भूमि, कृषि के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है तो संहिता की धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा.
- 8. यदि कोई भूमि, जिसका निर्धारण किसी एक प्रयोजन के उपयोग के लिए हुआ हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जाती है तथा उस पर नियम 6 के अधीन भू-राजस्व नियत किया गया है, तो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार, कालम (3) में विनिर्दिष्ट ततस्थानी दरों पर प्रीमियम अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु पूर्त प्रयोजनों हेतु किसी भूमि के लिए व्यपवर्तन के लिए कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि नगरेत्तर क्षेत्रों में, ऐसी कृषि भूमि पर, जो कि निवासगृहों के लिए आवासीय प्रयोजनों में व्यपवर्तित की गई हो, यदि व्यपवर्तित भूमि का क्षेत्रफल एक सौ वर्ग मीटर से अनिधक हो, कोई प्रीमियम देय नहीं होगा.

- 9. उस दशा में, जब कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित भूमि कृषि या अन्य प्रयोजनों के लिये पुन: व्यपवर्तित की जाए, तो भूमि का धारक अथवा उसके स्वत्वाधिकार का उत्तराधिकारी व्यपवर्तन के लिए पूर्व में भुगतान किए गए प्रीमियम की रकम को वापस पाने अथवा मुजराई का हकदार नहीं होगा.
- 10. व्यपवर्तन के कारण निर्धारण में हुए समस्त परिवर्तन, अधिकार अभिलेख में तथा धारा 114 के अधीन विहित अन्य अभिलेखों में प्रविष्ट किए जाएंगे और यथास्थिति, सर्वेक्षण संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक के संबंध में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे.

अनुसूची (नियम 6 तथा 8 देखिए)

| | | प्रीमियम की दर | भू–राजस्व के पुनर्निर्धारण हेतु दर |
|------------|---|---|---|
| अनुक्रमांव | • | , | <i>"</i> |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | निवासगृह के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत |
| 2 | शैक्षणिक प्रयोजन के लिए (क) यदि व्यपवर्तित क्षेत्र एक हेक्टेयर तक हो. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत |
| | (ख) यदि व्यपवर्तित क्षेत्र एक हेक्टेयर से अधिक है तो अतिरिक्त भूमि के लिए. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत |
| 3 | औद्योगिक प्रयोजन के लिए | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत |
| 4 | वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.4 प्रतिशत |
| 5 | धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट खनि प्रयोजन के लिए. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत |
| 6 | पूर्त प्रयोजन के लिए | कोई प्रीमियम उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा. | कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत |

- स्पष्टीकरण.—(1) उपरोक्त अनुसूची के अनुसार प्रीमियम तथा निर्धारण की गणना हेतु समस्त भूमि को सिंचित कृषि भूमि के रूप में माना जाएगा.
- स्पष्टीकरण.—(2) 'पूर्त प्रयोजन' से अभिप्रेत है, शारीरिक और अथवा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए संस्था/अनाथाश्रम स्थापित करना, लड़िकयों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ 2-1-2012-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-1-2012-सात-शा. 6, दिनांक 10 जुलाई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 10th July 2014

No.F-2-1-2012-VII-Sec.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (XLV-a) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this Department's Notification No. 175-6477-VII-N (Rules) dated 6th January, 1960, the State Government, hereby makes the following rules regarding alteration of assessment and imposition of premium, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely:—

RULES

- 1. In these rules "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).
- 2. These rules shall be applicable from 30th December, 2011:

Provided that in case of land diverted during the period from 30th December, 2011 to date of publication of these rules in the Official Gazette, the imposition of premium and fixation of assessment shall be done in accordance with the rules prevailed on 30th December, 2011 as if the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011 (No. 42 of 2011) had not been passed.

A-ALTERATION OF ASSESSMENT

- 3. When land already diverted to a non-agricultural purpose and re-assessed on that basis is re-diverted to an agricultural purpose, the assessment as re-fixed shall be equal to the agricultural assessment on the land as fixed at the last settlement.
- 4. When land already diverted to a non-agricultural purpose and assessed on that basis is re-diverted to an agricultural purpose and there is no agricultural assessment to fall back upon, the assessment on re-diversion shall be fixed at the rate adopted for similar soil in the same village or in a neighbouring village at the last settlement.
- 5. The assessment fixed under rule 3 to 4 shall remain in force till the next succeeding settlement of the village.

6. Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, the assessment thereon shall be revised and the land revenue shall be fixed in accordance with the rates specified in column (4) of the Schedule appended to these rules:

Provided that where land is diverted into more than one non-agricultural purpose (mixed use), the assessment thereon shall be fixed in proporation to the uses of these purposes specified in the Schedule.

B-IMPOSITION OF PREMIUM

- 7. When the land assessed for any non-agricultural purpose is diverted to any agricultural purpose no premium shall be imposed under sub-section (5) of Section 59 of the Code.
- 8. Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose and land revenue is fixed thereon under rule 6, the premium shall be imposed according to the purposes specified in Column (2) to the corresponding rates specified in Column (3) of the schedule appended to these rules:

Provided that no premium shall be imposed for the diversion of any land for charitable purposes:

Provided further that no premium shall be payable on agricultural land diverted into residential purposes for dwelling houses, in non-urban areas, if the area of diverted land is not exceeding one hundred square meter.

- 9. In the event of the land diverted to non-agricultural purposes being re-diverted to an agricultural or any other purpose, the holder of the land or his successor-in-title will not be entitled to get a refund or set off of the amount of premium already paid for diversion.
- 10. All changes in assessment on account of diversion shall be brought on the record-of-rights and other record prescribed under Section 114 and necessary corrections shall also be made in respect of the survey numbers or plot numbers, as the case may be.

SCHEDULE (See rule 6 and 8)

| S. No. | Use of land | Rate of Premium | Rate for re-assessing the land revenue |
|--------|--|--|--|
| (1) | . (2) | (3) | (4) |
| 1 | for residential purpose for dwelling house | 1% of market value of agricultural land | 0.2% of the market value of agricultural land |
| 2 | for educational purpose— (a) if the area diverted is up to 1 hectare. | 1% of market value of agricultural land. | 0.2% of the market value of agricultural land. |
| | (b) for exess land, if the area diverted is more | 0.5% of market value of agricultural land. | 0.1% of the market value of agricultural land. |
| 3 | for industrial purpose | 1% of market value of agricultural land. | 0.2% of the market value of agricultural land. |
| 4 | for commercial purpose | 2% of market value of agricultural land. | 0.4% of the market value of agricultural land. |
| 5 | for mining purpose specified | 1% of market value of | 0.2% of the market value of |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|----------------------------|--|
| | in clause (f) of sub-section (1) of Section 59. | agricultural land. | agricultural land. |
| 6 | for Charitable Purpose | no premium shall be levied | 0.2% of the market value of agricultural land. |

Explanation—(1) For the calculation of premium and assessment according to Schedule above, all land shall be treated as irrigated agricultural land.

Explanation—(2) "Charitable purpose" means establishing institute for physically and or mentally challenged, orphanages, hostels for girls and working women, old age homes, developing sports facility and any purpose which the State Government may so notify by an order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.